खण्ड–495, अंक–1
शुक्रवार, 09 माघ, शक संवत् 1937
(29 जनवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि–परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1–12
उपस्थित सदस्य	13–18
राष्ट्रीय गीत	19
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न	20–21
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	21–60
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–04 सन् 2015) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	61
उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	61
एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	61
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	61
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	61
भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	62
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	62
उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	62
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	62
उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	63
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	63

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	63
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	63
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	64
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015	64
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	65–68

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री बरेली
12. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
15. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
29. अराधना मिश्रा 'मोना' श्रीमतीप्रतापगढ़
30. अरूण कुमार, डा0 बरेली
31. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
34. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
40. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
42. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
43. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
44. आलमबदी, श्री आजमगढ़
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
46. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
47. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
48. आशीष यादव, श्री बदायूं
49. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
50. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
52. इकबाल, श्री बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री संभल
54. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ

55. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
61. उदयराज, श्री उन्नाव
62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमाशंकर, श्री बलिया
66. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
67. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
68. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
69. ओम कुमार, श्री बिजनौर
70. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
72. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
73. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
74. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
75. करतार सिंह भड़ाना, श्रीमुजफ्फरनगर
76. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
77. काली चरन सुमन, श्री आगरा
78. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
79. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
80. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. कैलाश, श्री गाजीपुर
84. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
85. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
86. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
87. गजराज सिंह, श्री हापुड़
88. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
89. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
90. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
91. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
92. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
93. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
94. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
95. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
96. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
97. गोमती यादव, श्री लखनऊ
98. गोरख पासवान, श्री बलिया
99. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
100. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
101. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
102. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
103. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
104. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
105. जगपाल, श्री सहारनपुर
106. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
107. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
108. जफर आलम, श्री अलीगढ़
109. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
110. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
111. जमील अहमद कास्मी, श्रीमुजफ्फरनगर
112. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
113. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
114. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
115. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद

116. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
117. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
118. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री वस्ती
119. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमतीवाराणसी
120. तसलीम, श्री बिजनौर
121. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
122. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
123. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
124. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
125. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
126. दलजीत सिंह, श्री बांदा
127. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
128. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
129. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
130. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
131. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
132. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
133. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
134. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
135. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
136. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
137. धर्मराज, श्री बाराबंकी
138. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
139. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
140. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
141. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
142. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
143. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
144. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
145. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
146. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
147. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
148. नारद राय, श्री बलिया
149. नाहिद हसन, श्री शामली
150. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
151. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
152. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
153. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
154. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
155. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
156. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
157. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
158. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
159. पीतमराम, श्री पीलीभीत
160. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
161. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
162. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
163. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
164. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
165. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
166. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
167. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
168. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
169. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
170. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
171. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
172. फरीद महफूज किदवई, श्रीबाराबंकी
173. ''फसीहा मंजर''

''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
174. फेरन लाल, श्री ललितपुर
175. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्रीबुलन्दशहर
177. बदलू खां, श्री उन्नाव
178. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
179. बाबू खां, श्री हरदोई
180. बाबूलाल, श्री गोण्डा
181. बावन सिंह, श्री गोण्डा
182. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
183. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
184. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
185. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
186. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
187. बैजनाथ, श्री मऊ
188. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
189. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
190. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
191. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
192. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
193. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
194. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
195. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
196. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्रीऔरैया
197. मधुबाला, श्रीमतीसन्त रविदास नगर (भदोही)
198. मनबोध, श्री देवरिया
199. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
200. मनीष रावत, श्री सीतापुर
201. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
202. मनोज कुमार पाण्डेय, श्रीरायबरेली
203. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
204. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
205. महबूब अली, श्री अमरोहा
206. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
207. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
208. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
209. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
210. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
211. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
212. माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीसिद्धार्थनगर
213. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
214. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
215. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
216. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
217. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
218. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
219. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
220. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
221. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
222. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
223. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
224. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
225. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
226. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0कौशाम्बी
227. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
228. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
229. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
230. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
231. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
232. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
233. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
234. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
235. यासर शाह, श्री बहराइच
236. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
237. योगेन्द्रपाल सिंह, श्रीकानपुर देहात
238. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा

239. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
240. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
241. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
242. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
243. रणजीत सुमन, श्री एटा
244. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
245. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
246. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्रीललितपुर
247. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
248. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
249. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
250. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
251. रवि शर्मा, श्री झांसी
252. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
253. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
254. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
255. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
256. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
257. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
258. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
259. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
260. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
261. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
262. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
263. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
264. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
265. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
266. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
267. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
268. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
269. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
270. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
271. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
272. राधे श्याम, श्री अमेठी
273. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
274. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
275. राम करन आर्य, श्री बस्ती
276. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
277. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
278. राम गोविन्द, श्री बलिया
279. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
280. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
281. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
282. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
283. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
284. राम मगन, श्री बाराबंकी
285. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
286. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
287. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
288. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
289. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
290. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
291. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
292. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
293. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
294. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
295. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
296. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
297. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
298. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
299. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
300. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
301. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
302. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
303. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
304. लालमुन्नी सिंह, श्रीमतीसिद्धार्थनगर
305. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर

306. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
307. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
308. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
309. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
310. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
311. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
312. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
313. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
314. विजय मिश्र, श्रीसन्त रविदास नगर (भदोही)
315. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
316. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
317. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
318. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
319. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
320. विजय सिंह, श्री रामपुर
321. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
322. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
323. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
324. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
325. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
326. विमला बाथम, श्रीमतीगौतमबुद्धनगर
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शाकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
344. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
345. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
346. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
347. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
348. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
349. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
350. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
351. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
352. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
353. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
354. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
355. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
356. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
357. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
358. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
359. संजय कपूर, श्री रामपुर
360. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
361. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
362. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
363. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
364. सतीश कुमार निगम

'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
365. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
366. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
367. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
368. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
369. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
370. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
371. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
372. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री शामली
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्रीशाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
395. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
396. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
397. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
398. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
399. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
400. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
401. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
402. 'रिक्त मुजफ्फरनगर
403. ''रिक्त फैजाबाद
404. ''' रिक्त सहारनपुर

'श्री चितरंजन स्वरुप, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–14 मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर की दिनांक 19 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

''श्री मित्रसेन यादव, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–274 बीकापुर, जिला फैजाबाद की दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

'''श्री राजेन्द्र सिंह राणा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–5 देवबन्द, जिला सहारनपुर की दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 के पूर्वाह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल
श्री राम नाईक
मंत्रि–परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय, विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी, मद्यनिषेध, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, उच्च शिक्षा, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
2	श्री मो0 आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	बेसिक शिक्षा
5	श्री बलराम यादव	माध्यमिक शिक्षा
6	श्री अवधेश प्रसाद	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल

7	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
8	श्री पारस नाथ यादव	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
9	श्री रामगोविन्द चौधरी	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
1	2	3
10	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	वन
11	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	खादी एवं ग्रामोद्योग
12	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन
13	श्री राजेन्द्र चौधरी	राजनैतिक पेंशन
14	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
15	श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।
16	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
17	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भू–तत्व एवं खनिकर्म
18	श्री इकबाल महमूद	खाद्य एवं औषधि प्रशासन
19	श्री महबूब अली	रेशम एवं वस्त्रोद्योग
20	श्री शाहिद मंजूर	श्रम एवं सेवायोजन
21	श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'	ग्राम्य विकास
22	श्री कमाल अख्तर	खाद्य एवं रसद
23	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
24	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	कारागार
25	श्री साहब सिंह सैनी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	संस्कृति
2	श्री विजय कुमार मिश्र	धर्मार्थ कार्य
3	श्री रियाज अहमद	मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम
4	श्री फरीद महफूज किदवई	प्राविधिक शिक्षा
5	श्री मूल चन्द्र चौहान	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

6	श्री राम सकल गूर्जर	खेल एवं युवा कल्याण
7	श्री नितिन अग्रवाल	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन
8	श्री यासर शाह	परिवहन
9	श्री मदन चौहान	मनोरंजन कर
10	श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा	महिला कल्याण

राज्य मंत्री

1	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा
2	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य।
4	श्री अभिषेक मिश्रा	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
5	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण।
6	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
7	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
8	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
9	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा।
10	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
11	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण।
12	श्री जगदीश सोनकर	जल संसाधन एवं परती भूमि विकास।
13	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
14	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
15	श्री राधेश्याम सिंह	कृषि, (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि

		अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा
16	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'	नियोजन एवं ऊर्जा
17	श्री ओमकार सिंह यादव	ग्राम्य विकास
18	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	वन
19	श्री सुधीर कुमार रावत	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
20	श्री हेमराज वर्मा	खाद्य तथा रसद
21	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	खाद्य तथा रसद
22	श्री वंशीधर बौद्ध	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण

नेता विरोधी दल
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव
श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2015—2016)

1—श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)
2—श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)
3—श्री उदय राज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)
4—श्री शारदा प्रताप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)
5—डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)
6—श्री राजबली जैसल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)
7—श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)
8—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)
9—रिक्त।
10—रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–278

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
13. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
14. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
15. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
16. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
17. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
18. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
19. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
20. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
21. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
22. अरूण कुमार, डा0 बरेली
23. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
24. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
25. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
26. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
28. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
29. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
31. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
32. आशीष यादव, श्री बदायूं
33. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
34. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
35. इकबाल, श्री बिजनौर
36. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
37. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
38. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
39. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
40. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
41. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
42. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
43. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
44. उदयराज, श्री उन्नाव
45. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
47. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
48. ओम कुमार, श्री बिजनौर
49. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
50. काली चरन सुमन, श्री आगरा
51. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
52. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
53. कृष्णा पासवान,, श्रीमती फतेहपुर

54. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
55. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
56. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
57. गजराज सिंह, श्री हापुड़
58. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
59. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
60. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
61. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
62. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
63. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
64. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
65. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
66. गोमती यादव, श्री लखनऊ
67. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
68. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
69. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
70. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
71. जगपाल, श्री सहारनपुर
72. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
73. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
74. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
75. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
76. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
77. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
78. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
79. तसलीम, श्री बिजनौर
80. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
81. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
82. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
83. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
84. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
85. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
86. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्रीझांसी
87. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
88. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
89. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
90. धर्मराज, श्री बाराबंकी
91. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
92. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
93. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
94. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
95. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
96. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
97. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
98. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
99. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
100. पीतमराम, श्री पीलीभीत
101. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
102. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
103. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
104. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
105. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
106. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
107. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
108. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
109. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
110. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
111. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
112. फेरन लाल, श्री ललितपुर
113. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
114. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
115. बदलू खां, श्री उन्नाव
116. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
117. बाबू खां, श्री हरदोई
118. बाबूलाल, श्री गोण्डा

119.बावन सिंह, श्री गोण्डा
120.बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
121.बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
122.बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
123.बैजनाथ, श्री मऊ
124.ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
125.भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
126.भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
127.भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
128.भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
129.भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
130.मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
131.मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
132.मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
133.मनबोध, श्री देवरिया
134.मनीष रावत, श्री सीतापुर
135.मनोज कुमार, श्री चन्दौली
136.मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
137.मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
138.महबूब अली, श्री अमरोहा
139.महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
140.महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
141.महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
142.महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
143.माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
144.माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
145.माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
146.मानपाल सिंह, श्री कासगंज
147.मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
148.मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
149.मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
150.मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
151.मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
152.मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
153.मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
154.मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
155.मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
156.मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
157.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
158.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
159.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
160.मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
161.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
162.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
163.यासर शाह, श्री बहराइच
164.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
165. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्रीगोण्डा
166.रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
167.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
168.रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
169.रणजीत सुमन, श्री एटा
170.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
171.रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
172.रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
173.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
174.रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
175.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
176.आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
177.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
178.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
179.राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
180.राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
181.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
182.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
183.राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
184.राजेन्द्र, श्री गोरखपुर

185.राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
186.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
187.राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
188.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
189.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
190.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
191.राधे श्याम, श्री अमेठी
192.राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
193.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
194.राम करन आर्य, श्री बस्ती
195.रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
196.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
197.राम गोविन्द, श्री बलिया
198.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
199.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
200.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
201.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
202.राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
203.राम मगन, श्री बाराबंकी
204.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
205.राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
206.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
207.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
208.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
209.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
210.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
211.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
212.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
213.रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
214.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
215.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245.शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
246.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
247.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
216.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
217.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
218.लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
219.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
220.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
221.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
222.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
223.विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
224.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
225.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
226.विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
227.विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
228.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
229.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
230.विजय सिंह, श्री रामपुर
231. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
232. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
233.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
234.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
235.वीरपाल राठी, श्री बागपत
236.वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
237.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
238.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
239.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
240.शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
241.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
242.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
243.शाकिर अली, श्री देवरिया
244.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
248.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
249.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
250.शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज

251.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
252.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
253.श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
254.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
255.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
256.संजय कपूर, श्री रामपुर
257.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
258.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
259.सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
260.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
261.सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
262.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
263.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
264.सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
265.सीमा, श्रीमती जौनपुर
266.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
267.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
268.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
269.सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
270.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
271.सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
272.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
273.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
274.सुल्तान बेग, श्री बरेली
275.सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
276.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
277.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
278.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले वन्दे मातरम् हो जाने दीजिये।

राष्ट्रीय–गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न

नेता, विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आप महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को यहां पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब आज पूरा उत्तर प्रदेश गुण्डाराज की आग में जल रहा हो, कानून–व्यवस्था ध्वस्त हो, बिजली व्यवस्था चरमरायी हो, गन्ना किसानों पर लाठियां बरस रही हों, बुन्देलखण्ड के सूखा पीड़ित लोगों पर मांग के नाम पर लाठियां बरसायी जा रही हों और साथ ही साथ तीन लाख अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदावनत कर दिया गया हो, दलितों पर घोर अन्याय हो रहा हो। ऐसी हालत में इस सरकार का काला चिट्ठा जो महामहिम श्री राज्यपाल जी यहां पर पढ़ ही नहीं पाये हैं, उसको प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं उठता है। मा0 अध्यक्ष जी आपसे मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब महामहिम श्री राज्यपाल जी उस सरकारी दस्तावेज का बखान यहां पर नहीं कर पाये हों तो आपको भी बखान नहीं करना चाहिये। इसीलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मद को छोड़कर आगे बढ़ें जिससे कि सदन की सुव्यवस्थित कार्यवाही आगे चले।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, आज बुन्देलखण्ड की हालत यह हो गयी है कि वहां पर बिल्कुल अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

पहले बाजपेयी जी खड़े हुए थे, उनको कह लेने दीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके संज्ञान में एक विषय व्यवस्था के माध्यम से लाना चाहता हूं। आज महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण इस सदन में हुआ। यह एक संवैधानिक परम्परा है। यह ठीक है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने वर्षों पुरानी परम्परा को तोड़कर कुछ पेजों को पढ़कर अपने अभिभाषण को पूरा किया है, लेकिन सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी मौजूद थे और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आठ मिनट लेट आये हैं। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी अथवा परेशानी रही हो, लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अगर सत्ता पक्ष मौजूद नहीं होगा तो फिर किससे उम्मीद की जा सकेगी। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण एक ख ग ग ग , का पुलिन्दा है। स्थिति यह है कि बुन्देलखण्ड अकालग्रस्त घोषित किये जाने जो कि सूखे के दौर से गुजर रहा है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं और जानवरों को चारा उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जब श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो आप बोल लीजियेगा। अभी आप बैठ जाइये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

अब मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ रहा हूं।

मा0 सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2016 के दोनों सदनों के पहले सत्र के लिये एक साथ बुलाये गये अधिवेशन में मैं आप लोगों का तहेदिल से स्वागत करता हूं और आपको नये साल की बधाई देता हूं।

नेता, विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, हम इसके विरोध में सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

(जबसे मेरी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जनता से जो भी वायदे किये गये थे, उनको पूरा किया जाये और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी यह मानते हैं कि मेरी सरकार ने लगभग अपने सभी वायदे पूरे किये हैं और इस बारे में हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा है।)

आप सब जानते हैं कि मेरी सरकार ने हर साल जनता के सामने विकास का एजेण्डा रखा है और फिर पूरे साल उस पर तेजी से असरदार कार्यवाही की है। यह खुशी की बात है कि अब हमारी मेहनत रंग लाने लगी है और बड़ी संख्या में विकास की परियोजनायें चारों ओर अमल में आती दिखायी दे रही हैं।

मेरी सरकार ने पूरे प्रदेश की खुशहाली, प्रगति और संतुलित विकास के लिए कमर कसी है। जहां एक ओर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर निवेश का माहौल बनाया गया है जिससे विकास दर में बढ़ोत्तरी हुयी है वहीं दूसरी ओर किसानों, गांवों,

---

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मजदूरों गरीबों की बेहतरी के लिए सरकार ने उदारतापूर्वक कार्य भी किया है ताकि बढ़े हुये विकास का लाभ हर तबके तक पहुंचे।

हम यह मानते हैं कि प्रदेश और देश की प्रगति किसानों और गांवों के बिना संभव नहीं है और इसलिए मेरी सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। जब मौसम के प्रहार से पूरे उत्तर भारत में किसानों को पिछले वर्ष नुकसान हुआ तो मेरी सरकार ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा राहत की धनराशि किसानों तक पहुंचायी। हमने भारत सरकार से जितनी धनराशि सहायता में मांगी थी, हमें महीनों बाद उससे आधी धनराशि भी नहीं मिली परन्तु हमने उसका इन्तजार किए बिना राज्य आकस्मिकता निधि की सीमा बढ़ाकर किसानों को अपने खजाने से राहत पहुंचायी। इसी तरह जब केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीनी के भाव बाजार में लुढ़कने लगे तो मेरी सरकार ने अपने बजट से किसानों को धनराशि मुहैया करायी ताकि किसानों का नुकसान न हो।

जहां एक ओर खाद और बीज समय से मुहैया कराया गया वहीं लाखों किसानों को पंजीकृत कराकर उनके खाते में सीधे–सीधे सब्सिडी की धनराशि उपलब्ध करायी गयी और इस डी0बी0टी0 योजना की प्रशंसा भारत सरकार और अन्य सम्बन्धित संस्थायें भी कर रही हैं। जहां एक ओर मेरी सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया वहीं दूसरी ओर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके और नये ट्यूबवेल चलाकर और नहरों की सिल्ट की सफाई कराकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। मेरी सरकार किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत् है और उनके उत्पाद को अधिक मूल्य मिल सके, इसके लिए भी कोशिश कर रही है। इसलिए समर्थन मूल्य योजना के साथ–साथ मण्डियों का तेजी से विकास किया गया है ताकि किसानों को अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिल सके।

गांवों की चौतरफा तरक्की के लिए मेरी सरकार ने पिछले कुछ वर्षो से डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, लोहिया आवास योजना और जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना को सफलतापूर्वक चलाया है जिससे गांवों का कायाकल्प हुआ है और वहां रहने वाले नागरिकों को एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिला है।

मेरी सरकार ने कामधेनु योजना और कुक्कुट नीति के माध्यम से जहां सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया है वहीं पी0सी0डी0एफ0 को भी सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अमूल और मदर डेयरी भी प्रदेश में आ चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी वजह से बहुत से किसानों और पशुपालकों को लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा।

108 और 102 समाजवादी एम्बुलेंस योजना को न केवल सफलतापूर्वक चलाया गया है बल्कि इन एम्बुलेंस की संख्या को भी इस साल बढ़ाया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 108 सेवा के अन्तर्गत कुल 1488 एम्बुलेंस और 102 सेवा के अन्तर्गत कुल 2264 एम्बुलेंस सफलतापूर्वक काम कर रही हैं और इन एम्बुलेंस की सेवाओं से अब तक पूरे प्रदेश में 1.28 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को समय से ईलाज

का फायदा पहुंचा है। इसी के साथ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों की सुविधाओं में निरन्तर बढ़ोत्तरी की जा रही है और निजी निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है ताकि प्रदेश की जनता को बीमारी का सही ईलाज कम मूल्य पर मिल सके।

मेरी सरकार यह मानती है कि अवस्थापना विकास की कुंजी है। इसी के मद्देनजर हमने आगरा–लखनऊ के बीच छः लेन (एक्सपैण्डेब–टू–एईट–लेन) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस–वे का निर्माण कराना प्रारम्भ किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस ऐतिहासिक हाईवे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसी वर्ष इस पर ट्रैफिक दौड़ने लगेगा, ऐसी उम्मीद है। हम एक ऐसा ही एक्सप्रेस–वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनाने जा रहे हैं जिसको समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के नाम से जाना जायेगा इससे नई दिल्ली और आस–पास की समृद्धि और विकास का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलने लगेगा।

जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ने के कार्य में तेजी आई है और हर माह हम किसी न किसी जिला मुख्यालय को फोर लेन सड़क से जोड़ रहे हैं। इन बुनियादी सुविधाओं की वजह से न केवल उद्योग–धन्धे बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि किसानों को अपनी उपज को बाजार में ले जाकर बेचने में भी सुविधा होगी और उसका लाभकारी मूल्य उन्हें मिल सकेगा।

लखनऊ में मेट्रो के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और मेरी सरकार इसको तेजी से पूरा कराकर जनता को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ के साथ ही चार अन्य शहरों में भी मेट्रो को चलाने का निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है।

मेरी सरकार ने जहां विकास और अवस्थापना का कार्य तेजी से किया है वहीं गरीब परिवारों के लिये पूरे देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजवादी पेंशन योजना को लागू किया है जिससे 45 लाख परिवारों को सीधे बैंक खाते में धनराशि भेजी जा रही है।

बिजली के क्षेत्र में भी मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और आप सबके सहयोग से ऊर्जा के क्षेत्र में सालाना बजट पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना हो गया है। इससे न केवल विद्युत उत्पादन के नये प्लान्ट लगे हैं वहीं रिकार्ड संख्या में पारेषण और वितरण के सब–स्टेशन भी क्रियाशील हुये हैं। पारम्परिक ऊर्जा के साथ–साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। चाहे नये सोलर प्लान्ट हों, सोलर स्ट्रीट लाईट योजना हो, स्कूलों में सोलर आर0ओ0 वाटर दिया जाना हो या किसानों को सोलर फोटोवोल्टाईक पम्प देने की बात हो हर दिशा में सरकार ने तेजी से काम किया है। मेरी सरकार प्रदेश की जनता को पर्याप्त और बेहतर बिजली उपलब्ध कराने के अपने वायदे पर ईमानदारी और तेजी से काम कर रही है।

बेहतर अवस्थापना, सेक्टर आधारित नीतियों और पारदर्शी एवं उत्साहजनक माहौल की वजह से बड़ी संख्या में उद्योग और निवेश प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। जहां सैमसंग, एच0सी0एल0, आई0टी0सी0, आईकिया जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं वहीं प्रदेश से जुड़े हुए छोटे उद्यमी और व्यवसायी भी निवेश करने के लिये प्रोत्साहित हो रहे हैं।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार युवाओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रति सजग और संवेदनशील है और उनको आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर भविष्य देने के लिए भी पूरी कोशिश कर रही है। जहां एक ओर सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरी दी जा रही है चाहे वह लेखपाल हो, आरक्षी हो, शिक्षक हो अथवा कोई और वहीं मेरी सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि निजी क्षेत्र में भी युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास मिशन द्वारा लाखों युवक–युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया गया है और बड़ी संख्या में उनको रोजगार भी मिला है। इस दिशा में मेरी सरकार ने आगे बढ़कर देश–विदेश की कम्पनियों के साथ समझौता भी किया है ताकि वे कम्पनियां उद्योग जगत की आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं को हुनरमन्द कर सकें। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा तालीम के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती और शिक्षामित्रों के समायोजन से जहां शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हुई है वहीं शिक्षक प्रशिक्षण भी बेहतर वातावरण नयी तकनीक के इस्तेमाल और बेहतर पाठ्यक्रम और पढ़ायी की वजह से पूरे प्रदेश में एक बेहतर शिक्षा का माहौल तैयार किया गया है।

मेरी सरकार महिलाओं के हित और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। पुलिस विभाग में एक उच्चस्तरीय महिला सम्मान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, 1090 की सेवा को विस्तार दिया गया है, एसिड अटैक की पीड़ितों को बेहतर जिंदगी देने के लिए काम किया गया है और अभी हाल ही में महिलाओं और युवतियों के लिए बेहतर जीवन और स्वास्थ्य की जरूरत को देखते हुये पंचायती उद्योग के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन बनाने का अभिनव प्रयोग भी किया गया है। मेरी सरकार यह मानती है यह देश और प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आधी जनसंख्या को पूरा विकास का मौका और बराबरी का हक न मिले।

मा0 सदस्यगण, प्रदेश की जनता को प्रगति और खुशहाली की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है आम जनमानस में सुरक्षा की भावना रहे, अपराध नियंत्रण में रहे और कानून–व्यवस्था मुस्तैद रहे। इस दिशा में मेरी सरकार ने पूरी तत्परता से काम किया है और विभिन्न शरारती तत्वों और साम्प्रदायिक ताकतों की कोशिशों के बावजूद पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून–व्यवस्था की स्थिति बनायी रखी गयी है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरी सरकार संकल्पित है कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में अमन–चैन, आपसी भाईचारा व साम्प्रदायिक सौहार्द को कुप्रभावित नहीं होने दिया जायेगा और ऐसी किसी भी स्थिति से सख्ती से निपटा जायेगा।

अपराध के नियंत्रण के लिए डायल 100 जैसी महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य किया जा रहा है जिससे जरूरतमन्द जनता को पुलिस की जरूरत होने पर पुलिस तत्काल कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सके। जहां पुलिस में बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है वहीं पुलिस को आधुनिक सुविधाओं और तकनीकीं से लैस किया जा रहा ताकि भविष्य की चुनौतियों का पुलिस सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके।

मा0 सदस्यगण, प्रदेश की जनता की खुशहाली और विकास तभी संभव है जब सरकार और समाज का प्रगतिशील तबका एक साथ मिलकर काम करे। इसलिए हमने हमेशा प्रतिभावान साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया है और उनको सरकार के साथ जोड़ा है। आप सब जानते हैं कि मेरी सरकार ने कई समाप्त किए गए पुरस्कारों को फिर से शुरू किया है और बड़ी संख्या में कवियों, किसानों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, कलाकारों को न केवल पुरस्कृत किया बल्कि सेवाकाल के बाद उनके जीवनयापन के लिए व्यवस्था भी की।

मेरी सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली आप्रवासी प्रदेश वासियों को सम्मानित कर उनको यू0पी0 रत्न पुरस्कार से नवाजा और उनको न्यौता दिया कि वे अपने प्रदेश की माटी से एक बार फिर जुड़ें और प्रदेश के विकास और प्रगति में अपना योगदान दें।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार ने अपने प्रयासों से पूरे प्रदेश में तरक्की का शुभारम्भ किया है और प्रगति का श्रीगणेश किया है। मेरी सरकार नयी–नयी दिशाओं में कार्य कर रही है और प्रदेश की जनता के खुशहाल भविष्य के लिए एक सूत्रधार का कार्य कर रही है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब मेरी सरकार के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें।

अब मैं आपके समक्ष मेरी सरकार के कार्यों की रूपरेखा रखूंगा :–

कृषि विभाग–

प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.71 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 166.23 लाख हे0 में खेती की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं कृषि नीति–2013 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य के दृष्टिगत वर्ष 2016–17 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 659.59 लाख मी0 टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 14.12 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2016–17 में 55.50 लाख कुन्टल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11.00 लाख कुन्टल एवं रबी की फसलों हेतु 44.50 लाख कुन्टल का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2016–17 में 42.07 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार के विशेष प्रयास से कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2015–16 में 88.67 लाख मी0 टन उर्वरक वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक 82.63 लाख मी0 टन की उपलब्धता

सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 2016–17 में 97.53 लाख मी0 टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीट एवं रोगों के नियंत्रण हेतु वर्ष 2015–16 में 17430 मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायन वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 10400 मी0टन/कि0ली0 का वितरण माह दिसम्बर, 2015 तक किया गया। वर्ष 2016–17 में 17810 मी0टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायन वितरण का लक्ष्य है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु **राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम** प्रदेश के सभी जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 65 जनपदों में **संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** एवं 10 जनपदों में **मौसम आधारित फसल बीमा योजना** लागू की गयी है।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्यावरण हितैषी एवं मंहगे डीजल/विद्युत आपूर्ति की समस्या के लिए निदान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत **सोलर फोटोवोल्टिक इरीगेशन पम्प** की स्थापना कृषकों के खेतों पर कराई जा रही है। वर्ष 2016–17 में कृषकों के खेतों पर 6000 सोलर फोटोवोल्टिक पम्प स्थापना का लक्ष्य है।

प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2016–17 में **प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना** के अन्तर्गत 1000 एग्रो जंक्शन (कृषि केन्द्र) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

विभाग द्वारा कृषकों को परदर्शी तरीके से लाभ उपलब्ध कराने हेतु **''पारदर्शी किसान सेवा योजना''** लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत किसानों का आनलाईन पंजीकरण करते हुए ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धांत के आधार पर डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान सीधा किसानों के बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से भेजा जा रहा है। दिसम्बर, 2015 तक 38 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत अब तक 4804 ग्रामों का चयन किया गया है जिसमें से 3835 ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड, नाली का निर्माण एवं विद्युत कार्य कराया जाता है। वर्ष 2012–13 में रु0 25 लाख प्रति गांव के विकास पर व्यय किया जा रहा था जिसे बढ़ाकर 2013–14 से रु0 40.00 लाख प्रतिगांव के विकास पर व्यय किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत विशिष्ट मण्डियों के निर्माण कराये जाने की श्रृंखला में 07 विशिष्ट मण्डियों हेतु कुल रु0 433.94 करोड़ की परियोजना कुल स्वीकृत की गयी है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद् द्वारा रु0 10.00 करोड़ से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों हेतु ई–टैण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी है।

मण्डी परिषद् स्तर पर मण्डी समितियों की कार्य–प्रणाली को टर्न–की बेस पर कम्प्यूटराइज किये जाने का निर्णय लेते हुए इस कार्य को सर्वप्रथम मण्डी समिति, सहारनपुर एवं पीलीभीत में ''पाइलेट बेस'' पर कराये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में यह कार्य प्रदेश की 30 मण्डियों में सम्पादित कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र–6 व 9 आदि के गेटपास की प्रविष्टि ऑन–लाइन कर दी गयी हैं।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग–

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा वर्ष 2015–16 में विभिन्न फसलों की तीन नई प्रजातियां (जौ की के0बी0–1222, अलसी की एल0सी0के0–1108 तथा एल0सी0के0–1101) विकसित की गई हैं। शियाट्स, इलाहाबाद द्वारा धान की 04 तथा गेहूं की 04 नई प्रजातियों को नोटीफिक्वेशन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। प्रजाति विकास के साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा बीज विकास एवं उत्पादन तथा कृषकों की समस्याओं पर विभिन्न विषयों पर शोध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। कृषि की विकसित नवीन तकनीकी आदि की जानकारी प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अन्तर्गत स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को प्रदान की गईं।

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से शोध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार, शस्य व पौध सुरक्षा तकनीक, बीज उत्पादन कर सम्यक् कृषक उपयोग तकनीकी के विकास को गति दी जा रही है। कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों आदि के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित किया गया।

सहकारिता विभाग–

प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए शासन द्वारा वर्ष 2015–16 में रु0 150.00 करोड़ के शासकीय सहायता का बजट प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष रु0 150.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। भविष्य में भी किसानों को 03 प्रतिशत की दर पर अल्पकालीन फसली ऋण प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रदेश में सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाने हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी बैंकों को सक्रिय एवं स्वाश्रयी बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। 16 गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्राप्त करने की अर्हता पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 1639.71 करोड़ शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर एवं उनको रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से ''महिला समृद्धि योजना'' के अन्तर्गत 03 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 में अल्पकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य रु0 8771.00 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 28–12–2015 तक रु0 6164.65 करोड़ की प्रगति हुई है, जो लक्ष्य के सापेक्ष 70.29 प्रतिशत है।

गन्ना विकास विभाग–

राज्य सरकार के प्रयास से गत गन्ना पेराई सत्र 2014–15 के कुल देय गन्ना मूल्य रु0 20645.47 करोड़ के सापेक्ष रु0 18960.36 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है, जो 91.84 प्रतिशत है तथा अब रु0 1685.11 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान शेष है। चीनी के बाजार मूल्यों में गत वर्षो से हो रहे गिरावट के कारण चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान की क्षमता प्रभावित रही है, जिसके दृष्टिगत गन्ना कृषकों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पेराई–सत्र 2014–15 में गन्ना मूल्य का 02 किस्तों में भुगतान किये जाने व गन्ना क्रय कर (रु0 149 करोड़) व चीनी पर प्रवेश कर से छूट (रु0 208 करोड़) दिये जाने तथा सोसायटी कमीशन के रूप में चीनी मिलों द्वारा किये गये भुगतान की शासकीय प्रतिपूर्ति (रु0 149 करोड़) किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त के अतिरिक्त रु0 28.60 प्रति कुन्तल की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता (लगभग रु0 2131 करोड़) इस उद्देश्य से दी गयी है कि कृषकों का अधिकतम् गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार इस दिशा में सतत् प्रयासरत् है कि गन्ना किसानों को उनकी गन्ना उपज का उचित मूल्य व गन्ना मूल्य का भुगतान प्राप्त हो जाय एवं साथ ही प्रदेश में चीनी उद्योग भी सुदृढ़ रहे।

गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु एक पारदर्शी **''गन्ना सूचना प्रणाली''** विकसित की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 30 लाख से अधिक गन्ना किसानों को उनकी गन्ना फसल के सम्बन्ध में आधारभूत संसूचना ऑनलाईन प्रदत्त कराते हुए सर्वेक्षण, पर्ची, तौल एवं भुगतान विषयक सूचनाएं तीन माध्यमों यथा–वेबसाईट, एस0एम0एस0 एवं आई0वी0आर0एस0 से उपलब्ध करायी जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं बहु–प्रशंसित इस प्रणाली द्वारा गन्ना किसानों की समस्याओं का ई–समाधान तत्परता से किया जा रहा है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

प्रदेश में 74659.57 कि0मी0 लम्बी नहर प्रणालियों एवं 32047 राजकीय नलकूपों से लगभग 79.00 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग कर वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के सृजन एवं निर्माण हेतु सिंचाई विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

सिंचाई विभाग द्वारा सतही जल एवं भू–गर्भ जल का उपभोग करके कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधा 74659.57 कि0मी0 नहरों, 28 पम्प नहरों, 32047 राजकीय

नलकूपों, 249 लघु डाल नहर एवं 69 जलाशयों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर रु0 1535.79 करोड़ व्यय करके 300.00 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की 19 चालू परियोजनाएं तथा बाणसागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना, कचनौदा बांध, अर्जुन सहायक परियोजना, चौ0 चरण सिंह लहचूरा बांध, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण, भोपौली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, निचली रोहिणी बांध, उटारी बांध, भौरट बांध, जमरार बांध, पहाड़ी बांध, पहुंज बांध, कनहर सिंचाई परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना, राजघाट नहर द्वितीय चरण, जसराना (नवीन) नहर परियोजना, रतौली वियर बांध तथा क्योलारी बांध परियोजना पूर्ण करने हेतु रु0 10965. 60 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी तथा 801.10 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। 11 नई परियोजनाएं यथा भावनी बांध, बंडई बांध, विराट सागर बांध, पंचनद बांध, केन बेतवा लिंक परियोजना, सुखनई बैराज, बाघेन बांध, धुरवारा बांध, हथिनी कुण्ड लिंक चैनल द्वितीय चरण, सौर ऊर्जा विकास परियोजना तथा सिंचाई विभाग में सूचना तकनीकी के विकास की परियोजना तथा रु0 590.28 करोड़ व्यय करके 47.80 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन के साथ–साथ सौर ऊर्जा एवं सूचना तकनीकी के समुचित विकास का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त गोमती नदी के चैनेलाइजेशन एवं सौन्दर्यीकरण की परियोजना प्रारम्भ कर दी गयी है, जो कि दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण हो जायेगी, जिसकी लागत लगभग रु0 656.58 करोड़ है।

खरीफ 1423 फसली वर्ष 2015–16 में 3693 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई विभागीय मद से कराया जाना प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष विभागीय मद में 3017 कि0मी0 सिल्ट सफाई हुई। खरीफ 1423 फसली वर्ष 2015–16 में कुल 9725 नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने का लक्ष्य था जिसमें 9271 नहरों की टेल पर पानी पहुंचा कर 3120.65 हजार हेक्टेयर सींच की गयी।

रबी 1423 फसली वर्ष 2015–16 में 31551 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभागीय मद में 15512 कि0मी0 तथा जिला स्तरीय मद में 16039 कि0मी0 सिल्ट सफाई का कार्य किया जाना था, जिसके सापेक्ष दिनांक 11–12–2015 तक विभागीय मद में 11512 कि0मी0 तथा जिला स्तरीय मद में 1573 कि0मी0 सिल्ट सफाई हुई। रबी 1423 फसली वर्ष 2015–16 में कुल 8698 नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष दिनांक 10–12–2015 तक 937 नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया।

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास ए0आई0बी0पी0 पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के स्वीकृत बजट के सापेक्ष 10 से 15 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवमुक्त हुई है जिससे बाढ़ की परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति प्रभावित हो रही है।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 03 वर्षों में धनराशि रु0 711.4535 करोड़ (संशोधित) की लागत से 3000 नये नलकूपों का निर्माण किया जाना है।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत विगत वर्षों में असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 02 वर्षों में धनराशि रु0 239.2438 करोड़ की लागत में स्थापित से 1054 असफल नलकूपों का पुनःनिर्माण किया जाना है।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत डा0 राम मनोहर लोहिया 8000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण परियोजना (नाबार्ड पोषित) का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 03 वर्षों में धनराशि रु0 287.36 करोड़ की लागत से प्रदेश में स्थापित 8000 राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं नवीन पम्प सेटों की प्रतिस्थापना का कार्य किया जाना है।

प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत भी नवीन लघु लिफ्ट नहरों की निर्माण परियोजना हेतु धनराशि रु0 6598.78 लाख की लागत से जनपद चन्दौली में गडई नदी पर महदेउर नवीन पम्प नहर का निर्माण परियोजना (नवसृजित 988 हेक्टेयर), कर्मनाशा नदी पर स्थापित पम्प नहरों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की परियोजना (नवसृजन 1061 हेक्टेयर व पुनर्स्थापना 4673 हेक्टेयर कुल 5734 हेक्टेयर) एवं बलुआ पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना (नवसृजित 1740 हेक्टेयर व पुनर्स्थापना 2050 हेक्टेयर कुल 3790 हेक्टेयर) एवं कुण्डाकला पम्प नहर जीर्णोद्धार परियोजना (नवसृजन 280 हेक्टेयर व पुनर्स्थापना 363 हेक्टेयर कुल 643 हेक्टेयर) सम्बन्धी कार्य कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक इस परियोजना में धनराशि रु0 19.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में धनराशि रु0 4358.81 लाख प्राविधानित बजट से निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बुन्देलखण्ड के ललितपुर जनपद में स्थित कचनौदा बांध पर नवीनतम स्काडा तकनीक का प्रयोग करते हुए गेटों को पूर्णतः स्वचालित किया गया।

बैराजों की सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण के दृष्टिगत 14 बैराजों/बांधों पर कैमरों की स्थापना करायी गयी जिससे उनको आनलाइन कहीं से भी देखा जा सकता है।

लघु सिंचाई विभाग

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु कुल रु0 170.41 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिससे 1,75,424 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मध्यम गहरे नलकूप योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु रु0 163.13 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 10,662 मध्यम गहरे नलकूप का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

गहरी बोरिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु रु0 52.3585 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 2941 गहरे नलकूप का निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 से संचालित है जिसमें दो प्रकार के समूहों का गठन होता है तथा नलकूप निर्माण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को रु0 5.00 लाख तथा सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को रु0 3.92 लाख रुपये का अनुदान अनुमन्य है तथा उपरोक्त अनुदान में नलकूप निर्माण, जल वितरण प्रणाली एवं ऊर्जीकरण की धनराशि सम्मिलित है।

आर0आई0डी0एफ0–20 (नाबार्ड पोषित) योजनान्तर्गत नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद, जालौन, बांदा और रामपुर में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 193 चेकडैमों का निर्माण रु0 7130.59 लाख की धनराशि से तीन वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है।

आर0आई0डी0एफ0–21 के अन्तर्गत ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैमों का निर्माण हेतु नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर0आई0डी0एफ0) से जनपद झांसी, मुरादाबाद, बदायूं एवं सोनभद्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 172 चेकडैमों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

आर0आई0डी0एफ0–21 के अन्तर्गत सामुदायिक ब्लास्टवेल का निर्माण के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चार जनपद क्रमशः झांसी, ललितपुर, महोबा एवं चित्रकूट के 20 पठारी/ अर्द्धपठारी विकास खण्डों जहां पर नलकूप निर्माण सम्भव नहीं होता है की सिंचाई समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गत कुल 4200 नये सामुदायिक ब्लास्ट कूपों का निर्माण तथा 585 पुराने सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु रु0 47015.99 लाख की धनराशि से तीन वर्षों में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 4355 है, अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

भू–गर्भ जल विभाग

भू–गर्भ संसाधनों से सम्बन्धित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु आगामी वर्ष हेतु चालू योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में कुशल भू–जल प्रबन्धन के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पादित करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से भू–गर्भ जल संसाधनों का विकास खण्डवार आंकलन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भू–जल स्तर का सघन अनुश्रवण, भू–जल अनुसंधान में वैज्ञानिक विधाओं का प्रयोग, जी0आई0एस0 मैपिंग, एक्यूफर मैपिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रमों का अनुश्रवण, शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना तथा भू–जल संसाधनों की गुणवत्ता का

अनुश्रवण आदि कार्य प्रस्तावित है। साथ ही जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य आयोजित होने वाले 'भू–जल सप्ताह' को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा, जिसके अन्तर्गत कार्यशालाओं का आयोजन, स्कूल–कालेजों में जन–जागरूकता कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रचार–प्रसार सामग्रियों को तैयार कर वितरित किये जाने का कार्य प्रस्तावित है।

परती भूमि विकास

परती भूमि विकास विभाग द्वारा उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम के माध्यम से प्रदेश की अपघटित एवं अकृष्य भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु **विश्व बैंक की सहायता** से प्रदेश के 29 ऊसर बाहुल्य जनपदों में **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन–तृतीय** ऊसर सुधार की परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में जहां एक ओर कृषि उत्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नये आय के स्रोत भी उत्पन्न हुए हैं। विश्व बैंक से परियोजना अनुमोदन के समय परियोजना की मूल लागत रु0 1206 करोड़ आंकलित की गई, जिसमें विश्व बैंक द्वारा रु0 965 करोड़ की आसान किश्तों के आधार पर वापसी की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

मत्स्य विभाग

प्रदेश में वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सभी स्रोतों से 4.94 लाख मी0 टन का रिकार्ड उत्पादन सुनिश्चित किया गया है जिसमें तालाबों की मत्स्य उत्पादकता 4140 कि0मी0/हे0/वर्ष आंकलित की गयी है। इस प्रकार देश के अन्तर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के पश्चात तीसरा स्थान प्राप्त है।

पशुपालन विभाग

प्रदेश में पशुपालन गरीब ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख आधार है। प्रदेश में कुक्कुट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ''उ0 प्र0 कुक्कुट नीति–2013'' संचालित की जा रही है। नीति के अन्तर्गत 30,000 पक्षियों की क्षमता की एक कामर्शियल लेयर्स इकाई तथा 10,000 पक्षियों की क्षमता की एक ब्रायलर पैरेन्ट इकाई की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इन इकाइयों की स्थापना के पश्चात आयात होने वाले अण्डे एवं कामर्शियल ब्रायलर चूजों का प्रदेश में उत्पादन होने से आयात में कमी होगी।

वर्तमान समय में प्रदेश में 365 करोड़ अण्डे वार्षिक के स्थान पर नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 276 करोड़ अण्डे का ही आयात हो रहा है। शेष का उत्पादन प्रदेश में होने लगा है। 10,440 की संख्या में रोजगार सृजन तथा 227.30 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा उच्च गुणवत्ता के पशुओं के विकास हेतु कामधेनु डेयरी इकाइयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना चलाई जा रही है।

दुग्ध विकास विभाग

प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनवरत विकास को सुनिश्चित करने, कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का लाभकारी मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित ढांचा सुदृढ़ करने में दुग्धशाला विकास विभाग का सराहनीय योगदान रहा है। दिन–प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय ही एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।

पी0सी0डी0एफ0 लि0 के अन्तर्गत पराग दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन हेतु **''पराग मिल्क मार्केटिंग कम्पनी''** को गठन हेतु प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

पी0सी0डी0एफ0 लि0 के पुनर्जीवीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रायोजना प्रस्ताव पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की 81वीं बैठक दिनांक 11–09–2015 में प्रस्तुत किया गया। इन प्रायोजना प्रस्तावों पर पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड द्वारा कुल रु0 1516.47 करोड़ की लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

जनपद कन्नौज में उमर्दा (तिर्वा) क्षेत्र में 30,000 लीटर दैनिक क्षमता के नये दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया।

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर क्षेत्र में 10,000 लीटर दैनिक क्षमता के नये डेरी प्लाण्ट की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया।

जनपद लखीमपुर, खीरी, जालौन, गोण्डा व फैजाबाद में दही प्लान्ट की स्थापना की गयी है।

वर्ष 2013–14 में मिनी डेरी इकाइयों की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्य 1770 के सापेक्ष 1666 ऋण आवेदन–पत्र स्वीकृत कराये गये और 963 इकाइयों हेतु प्रथम डोज वितरित कराया गया।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 में **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन** डी–लिंक्ड कर दिये जाने के फलस्वरूप विकल्प के रूप में **मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन** की योजना प्रदेश में लागू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत फल एवं सब्जी का प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, मांस, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित है।

प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बागवानी के व्यावसायीकरण से प्रदेश के छोटी जोत के कृषक लाभान्वित हो सकें। बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये मेरी सरकार द्वारा एक विशेष योजना लागू की गयी है जो न केवल किसानों को एक निश्चित आय उपलब्ध करायेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर पौष्टिक फलों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायेगी।

पंचायती राज विभाग

वर्ष 1995 के पश्चात् प्रदेश में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के फलस्वरूप कुल 59,163 ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं। पुनर्गठन के पूर्व 51,914 ग्राम

पंचायत अस्तित्व में थी। त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों का परिसीमन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के 7,45,475 क्षेत्र पंचायत के 77,965 एवं जिला पंचायत के 3,128 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का निर्धारण किया गया। वर्ष 2015 में 59,163 ग्राम पंचायत प्रधान, 7,75,475 सदस्य ग्राम पंचायत, 77,965 सदस्य क्षेत्र पंचायत, 3,128 सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये। पंचायत निर्वाचन, 2015 निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत प्रदेश में 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 1500 ग्राम पंचायतों को डेस्कटाप कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं एवं 8000 पंचायत सचिवों को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत इस वर्ष प्रदेश सरकार ने एक अभिनव योजना पर कार्य करते हुए 40 जनपदों में पंचायत उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों और गरीब महिलाओं के लिये सस्ते दर पर सेनेटरी नैपकिन का उत्पादन कर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता का संदेश दिया गया, बल्कि गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया और महिला सशक्तीकरण का भी कार्य किया गया है। पूरे देश में पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम इतने वृहद स्तर पर चलाया गया।

समग्र ग्राम विकास विभाग

प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामों में विकास की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय से वंचित है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पांच वर्षों में लगभग 10,000 ग्राम चयनित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 18 विभागों के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2012–13 में 1598 ग्राम, वर्ष 2013–14 में 2104 ग्राम, वर्ष 2014–15 में 2098 तथा वर्ष 2015–16 में 2098 ग्रामों का चयन किया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं ग्रामीण परिवारों के सामाजिक व आर्थिक सुधार के लिये अलग–अलग योजनायें–लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अपने संसाधनों से क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार की गयी सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जाता है। संशोधित इकाई लागत के अनुसार लाभार्थी को अनुदान के रूप में रु0 3.05 लाख दिया

जायेगा जिसमें सोलर पैक के लिये रु0 30,000/– की धनराशि सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त तक 57750 परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016–17 में इस योजना में लगभग रु0 1778.98 करोड़ व्यय किये जाने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 या उससे अधिक आबादी वर्ग की सभी पात्र बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 34.00 लाख परिवारों को 10.49 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। योजनान्तर्गत हुये व्यय का लगभग 63 प्रतिशत व्यय कृषि एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों पर किया गया है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2022 तक प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने पर बल देते हुए चरणबद्ध रूप से उक्त लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की भांति ग्राम्य विकास विभाग के स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में रु0 2000 करोड़ की बजट व्यवस्था नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित की गयी है।

समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनता को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों, जिला चिकित्सालयों, जिला महिला चिकित्सालयों, समस्त तहसीलों एवं समस्त विकास खण्डों में 1–1 वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना की जानी है। समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना के अन्तर्गत वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना हेतु वर्ष 2015–16 के अनुपूरक बजट द्वारा कुल रु0 20.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया है। समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना के अन्तर्गत वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना हेतु वायविलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) माडल के अनुसार निविदा के माध्यम से एजेन्सी के चयन हेतु कन्सलटेन्ट मैसर्स अर्न्स्ट एण्ड यंग का चयन किया गया है। वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने वाले स्थानों का चिन्हींकरण सम्बन्धित जिलाधिकारियों से तथा उन स्थानों के पेयजल स्रोतों की जांच रिपोर्ट कन्सलटेन्ट को उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान के अन्तर्गत दिन–प्रतिदिन गिरते हुए भू–जल के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में भू–जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचयन हेतु तालाबों, पोखरों, झीलों तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, उचित रख–रखाव एवं

सौन्दर्यीकरण आदि के साथ ही वर्षा जल संचयन हेतु **''मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान''** योजना के तहत भू–जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचयन हेतु सुनियोजित रूप से कार्य किये जाने का प्राविधान ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया गया है।

नगर विकास विभाग

जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं यथा–जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन, जल निकासी, सड़क, परिवहन, पर्यावरण आदि के स्तर में निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 635 नगरीय स्थानीय निकाय है, जिसमें 14 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद् एवं 427 नगर पंचायत हैं।

आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है। आगरा नगर को उचित गुणवत्ता का कच्चा जल उपलब्ध कराने हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा–हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के तहत 130 कि0मी0 लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक (368 एम0एल0डी0) कच्चा जल लाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में स्वीकृत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की क्रमशः 33 व 64 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के नगरीय परिदृश्य में व्यापक सुधार परिलक्षित हो रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को आगामी 30 वर्षों के नगरीय परिदृश्य/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 02 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 12 शहरों को प्रारम्भिक रूप से भारत सरकार द्वारा चयनित कर लिया गया है तथा 02 अन्य शहरों का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है।

प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 4 झीलों/तालों यथा–रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), मानीस गंगा ताल (गोवर्धन नगर जनपद मथुरा), लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें प्रस्तावित की गयी है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

आसरा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 14241 आवासों की 64 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में शहरी गरीब रिक्शा चालकों को मुफ्त **ई–रिक्शा** से लाभान्वित करने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मोटर/बैटरी चालित रिक्शा वितरण किये जाने की प्रक्रिया में है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 1339 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा उन पर कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) प्रदेश के चयनित 82 शहरों में संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास हेतु स्वयं सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण एवं देख–रेख हेतु 57 संदर्भ संस्थाओं (आर0ओ0) को इम्पैन्ल्ड किया गया है। 39 शहरी आजीविका केन्द्र स्वीकृत तथा 3988 स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं।

शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों के आश्रय हेतु 72 आश्रयगृह के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग

प्रदेश में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को कक्षा–1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिये सर्व शिक्षा अभियान योजना वित्तीय सहायता 60:40 के अनुपात में सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को भोजन परोसने में एकरूपता लाने के दृष्टिगत पहली बार अच्छी गुणवत्ता के स्टेनलेस स्टील के बर्तन (भोजन थाल एवं गिलास) के क्रय हेतु बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरी सरकार द्वारा सप्ताह में एक दिवस (बुधवार को) प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 150 मि0ली0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 200 मि0ली0 दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही योजनान्तर्गत छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत छात्रों को मध्यान्ह भोजन के साथ अतिरिक्त पुष्टाहार के रूप में सप्ताह में एक दिवस फल उपलब्ध कराये जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

वर्तमान में 1938 राजकीय, 4562 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 18147 वित्त विहीन कुल 24647 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। साक्षरता दर (जनगणना 2011 के

अनुसार) के राष्ट्रीय औसत 73 प्रतिशत के सापेक्ष प्रदेश की साक्षरता दर 69.7 प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3 एवं महिलाओं की 57.2 प्रतिशत है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मेधावी छात्रायें जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, के लिए पुनर्गठित कन्या विद्याधन योजना के संचालन हेतु रु0 300 करोड़ आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश में शैक्षिक वातावरण सृजन करने हेतु 10वीं व 12वीं पास मेधावी छात्र–छात्राओं को लैपटाप दिये जाने हेतु रु0 100 करोड़, राजकीय उ0मा0 विद्यालयों की स्थापना/वृहद निर्माण जीर्णोद्धार हेतु रु0 20 करोड़, राजकीय इण्टर कालेजों में क्लीन ग्रीन स्कूल योजना हेतु रु0 100 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षण संस्थाओं की नेक से मूल्यांकन कराकर उनकी गुणवत्ता में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 2015 में नेक से अनुमोदन हेतु 450 शैक्षणिक संस्थाओं का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार लखनऊ एवं झांसी विश्वविद्यालयों की नेक रैकिंग के अन्तर्गत ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'ए' के स्तर पर उच्चीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर की स्थापना दिनांक 17–6–2015 से करते हुए शैक्षणिक–सत्र 2015–16 में विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान **(रूसा)** योजनान्तर्गत 26 नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सह शिक्षा) की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में कुल 16 चिन्हित स्थलों पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, इनमें से 10 राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने तथा शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के कुल 1234 पदों का सृजन किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रौद्योगिक प्रगति के अनुरूप औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदेश में कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, जेण्डर गैप भरने, विकलांगों, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु तकनीकी शिक्षा को सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक बनाने हेतु कृत संकल्प है।

वर्तमान में प्रदेश में 120 तकनीकी संस्थाओं में पठन–पाठन हो रहा है। सत्र 2015–16 में कुल प्रवेश क्षमता 37170 स्वीकृत है। अनुसूचित जाति के सामाजिक,

आर्थिक उन्नयन हेतु 19 संस्थायें अवस्थापना की प्रक्रिया में है। इस वर्ष 07 नवीन पालीटेक्निक स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का नाम परिवर्तित कर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ किया गया है तथा विश्वविद्यालय को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

निजी डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के फीस के निर्धारण हेतु उ0 प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी है। जिससे निजी संस्थानों हेतु फीस निर्धारण की प्रक्रिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता आयेगी।

कौशलयुक्त जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से स्किल्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर में हथकरघा बुनकरों तथा वस्त्र आधारित हस्तशिल्पियों हेतु कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत जनपद बस्ती एवं गोण्डा में एक–एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है। जनपद–मिर्जापुर में भी एक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण अगले वर्ष आरम्भ किया जायेगा।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सुधार हेतु पाठ्यक्रमों को उद्योगपरक एवं रोजगारपरक बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के अधिकाधिक उपयोग के उद्देश्य से ई–लर्निंग एवं वर्चुअल क्लास रूम को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश की 13 पालीटेक्निकों में वर्चुवल क्लास रूम्स स्थापित कर दिये गये हैं। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर प्रदेश के 101 पालीटेक्निक में वर्चुअल क्लास रूम्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इंजीनियरिंग कालेजों में भी वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करके उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से जोड़ा जा रहा है।

छात्रों के व्यक्तित्व विकास एवं उद्यमिता विकास हेतु फिनिशिंग स्कूल चलाये जा रहे हैं। फैकल्टी के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनोवेशन और इनक्यूवेशन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश में इनोवेशन तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसके तहत 4 अभियंत्रण संस्थाओं में इनोवेशन एवं इनक्यूवेशन सेन्टर स्थापित किये गये हैं और अन्य संस्थानों में फैसिलिटेटर सेन्टर चिन्हित किये जा रहे हैं, जो क्षेत्र में हो रहे नवीन प्रयोगों को चिन्हांकित करके उन्हें प्रोत्साहित करने में सहयोग देंगे।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मेरी सरकार प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार देने के लिये कृत संकल्प है जिसके लिये कौशल विकास नीति को लागू किया गया है जिसका क्रियान्वयन कौशल विकास मिशन द्वारा निजी और सरकारी प्रदाताओं द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को आधुनिक तकनीकी व प्रबन्धन के क्षेत्र में निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान कराने के उद्देश्य से लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र को प्रारम्भ कर क्रियाशील किया है। प्रदेश की अपनी स्वयं की प्रशिक्षण परिषद् की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् को स्थापित कर क्रियाशील किया गया है।

प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में संचालित 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उनमें 40 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में 10 अन्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इसके साथ–साथ उच्च स्तरीय गुणवत्ता परक प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नये राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

चिकित्सा शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, गोमतीनगर लखनऊ, उ0 प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा तथा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सैफई इटावा तथा विभिन्न जनपदों में 10 राजकीय मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 1640 एम0बी0बी0एस0 की सीटें, 734 स्नातकोत्तर सीटें तथा 114 उच्च स्तरीय सीटें संचालित हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये रु0 60.262 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित है। इस हेतु राज्य बजट में रु0 33.33 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। आयुष सोसाइटी व कार्यकारी समिति को गठन कर लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सुपर स्पेशिलिएटी अस्पताल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त विश्वविद्यालय में में ओ0पी0डी0 तथा अन्तः रोगी सेवायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं। उक्त का संचालन सोसाइटी बायलॉज के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नोएडा में सुपर स्पेशिएलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान को सोसाइटी बायलाज के रूप में संचालित किया जा चुका है। प्रथम निदेशक की नियुक्ति भी की जा चुकी है। गैर शैक्षणिक संवर्ग के 276 पद तथा शैक्षणिक संवर्ग के 70 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

चक गंजरिया, लखनऊ में रु0 854.51 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में कराने का निर्णय लिया गया है। वहां

नवम्बर, 2015 से निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। निदेशक तथा प्रोफेसर के 03 पद सृजित किये जा चुके हैं। दिसम्बर, 2016 तक ओ0पी0डी0 सेवायें तथा रेडियोलॉजी विभाग संचालित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

उ0 प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में लगभग रु0 172 करोड़ की लागत से 300 बेडेड आब्स एण्ड गायनी ब्लाक के (पीडियाट्रिक के 100 बेड सहित) निर्माण का निर्णय लिया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं तथा राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर व राजकीय मेडिकल कालेज, चन्दौली की स्थापना/संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सम्प्रति राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा तथा राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं में ओ0पी0डी0 सेवायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

प्रदेश के पुराने 06 राजकीय मेडिकल कालेजों (कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर एवं झांसी) में लेवेल 03 के ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील बनाये जाने का लक्ष्य भी वर्ष 2016–17 में रखा गया है।

लोक निर्माण विभाग

प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुधार की अत्यन्त आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2015 तक 2,819 कि0मी0 ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण 3,222 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण 6,547 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों के नवीनीकरण का कार्य, 114 नदी सेतुओं का निर्माण तथा 07 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश में 500 से अधिक आबादी की अवशेष अनजुड़ी बसावटें, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं हैं, को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने हेतु कार्यों की स्वीकृति निर्गत करते हुए लगभग 95 प्रतिशत बसावटें संतृप्त की जा चुकी हैं। वर्ष 2016–17 में 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने हेतु कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जानी प्रस्तावित है। डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों एवं उनकी 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है।

प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ा जाना भी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। इसके अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग हेतु लक्षित कुल 20 जनपद मुख्यालयों में 14 जनपद मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आर्थिक स्तर पर लाभदायक साइकिल के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हेतु जनपद आगरा, लखनऊ, इटावा तथा मथुरा में इस वर्ष के लिये लक्षित 60 कि0मी0 के सापेक्ष माह नवम्बर, 2015 तक 45 कि0मी0 साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है।

भारतीय सड़क कांग्रेस परिवहन मंत्रालय के मानकों का अनुपालन करते हुए नये मार्गों का निर्माण, उच्चीकरण, सुधार कार्य कराया जायेगा। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित 1252 ब्लैक स्पाट के सुधार हेतु भी कार्यवाही विभाग की प्राथमिकता में है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभागों में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए उनमें ई–गवर्नेस को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लघु, मध्यम् एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिये उद्यमियों को आनलाइन आवेदन, स्वीकृतियां/अनापत्तियां आदि उपलब्ध कराने हेतु आनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली, ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में एक ऐसी पहल है जिससे उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक मानव हस्तक्षेप कम होगा।

आगरा से लखनऊ के मध्य 06 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे का निर्माण इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन (इपीसी) पद्धति पर किया जा रहा है। सम्पूर्ण परियोजना को पांच पैकजों में विभाजित कर क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी पांच पैकजों में चयनित निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के अन्तर्गत दादरी–नोयडा– गाजियाबाद निवेश क्षेत्र एवं तीन अर्लीबर्ड परियोजनाएं यथा–एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, मल्टी माडल लाजिस्टिक हब एवं मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट हब को क्रियान्वित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ऊर्जा विभाग

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष है कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के प्रति मेरी सरकार पूरी तरह से सजग है।

प्रदेश सरकार ने माह अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है और वर्ष 2019–20 से पूरे प्रदेश को विद्युत कटौती मुक्त घोषित कर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के लिये भी प्रतिबद्ध है। आपूर्ति की इस व्यवस्था हेतु वर्तमान विद्युत उपलब्धता लगभग 11,000 मेगावाट को बढ़ाकर 21,000 मेगावाट किया जाना होगा और इस हेतु राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रबन्ध कर लिया है।

बढ़ी हुई विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त 10,000 मेगावाट विद्युत को अनपरा ''डी'' परियोजना क्षमता 1,000 मेगावाट (प्रथम इकाई ग्रिड संयोजित), श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट (सम्पूर्ण क्षमता ग्रिड संयोजित), बारा तापीय विद्युत परियोजना 1,980 मेगावाट (प्रथम 660 मेगावाट इकाई ग्रिड संयोजित), ललितपुर तापीय परियोजना क्षमता 1,980 मेगावाट (प्रथम 660 मेगावाट इकाई ग्रिड संयोजित) तथा मेजा तापीय परियोजना की एक इकाई (क्षमता 660 मेगावाट) तथा केस–1 बिडिंग के माध्यम से 6,000 मेगावाट (जिसमें से 2,175 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुके हैं तथा शेष विद्युत के क्रय की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जायेगी, के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।)

इसके अतिरिक्त लगभग 1,000 मेगावाट क्षमता केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिये किया गया यह प्रबन्धन प्रशंसनीय है और सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट दर्शाता है।

सरकार की गम्भीरता इस बात से भी दृष्टिगत होती है कि 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत को बिना किसी बाधा के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लगभग रुपये 22,000 करोड़ का निवेश करके 765 के0वी0 क्षमता के 4,400 के0वी0 क्षमता के 17,220 के0वी0 क्षमता के 37 तथा 132 के0वी0 क्षमता के 74 उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित लाइनों का निर्माण अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण करने की कार्य योजना बना ली गयी है। इस दिशा में कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में पारेषण क्षेत्र में 35 नये उपकेन्द्रों का निर्माण पूर्ण करके उन्हें ऊर्जीकृत किया गया है। जबकि इससे पूर्व वर्ष 2007 से 2012 की अवधि में प्रतिवर्ष 17 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया था। अगले 02 वर्षों में पारेषण से सम्बन्धित 120 उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है।

इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये लगभग 550 नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने होंगे। इसके साथ ही 33 के0वी0, 11 के0वी0 एवं एल0टी0 लाइनों का निर्माण करना होगा। इस कार्य पर लगभग रुपये 6000 करोड़ का व्यय होगा। इस कार्य के लिये केन्द्र सरकार की इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत कार्य योजना बनायी गयी है।

तहसील को वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु 201 तहसीलों में 33/11 के0वी0 क्षमता के नये उपकेन्द्र बनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है तथा रुपये 800 करोड़ की धनराशि राज्य के बजट से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी गयी है। इनमें से 128 उपकेन्द्रों का निर्माण पूर्ण करके इन्हें ऊर्जीकृत भी किया जा चुका है तथा शेष उपकेन्द्रों का निर्माण मार्च, 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। निश्चित ही इस कार्य से तहसील स्तर पर वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी एवं उनका तेजी से विकास होगा।

पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के पश्चात बदलने में समय लगता था, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सरकार की पहल पर वितरण कम्पनियों द्वारा ट्रांसफार्मर मरम्मत को शीघ्रता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के लिये विभागीय कार्यशालाओं का विस्तार किया गया है तथा नई कार्यशालायें भी स्थापित की गयी। साथ ही क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को कार्यशाला तक लाने तथा मरम्मत के पश्चात निर्धारित स्थान पर पहुंचाने के लिये विभागीय वाहनों की भी व्यवस्था की गयी है। इससे क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को अब 72 घण्टे में बदला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की ए0टी0 एण्ड सी0 हानियां लगभग 38 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानकों की तुलना में काफी अधिक है। हानियों को कम करने के लिये नये विद्युत संयोजन देने का अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 24 लाख नये उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लिया। विद्युत चोरी रोकने का सघन अभियान पूरे देश में चल रहा है जिसमें अनियमित कनेक्शन नियमित किये गये, खराब मीटर बदले गये तथा बिजली चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि अक्टूबर, 2016 तक प्रत्येक गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इसके लिये ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगभग 1,73,000 गांव एवं मजरों के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत करायी गयी है। इस योजना की लागत लगभग रु0 11,900 करोड़ है। योजना पर कार्य प्रारम्भ भी हो गया है तथा वर्ष 2015–16 में एक लाख गांवों एवं मजरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करना लक्षित है।

सरकार द्वारा विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थलों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का भी निर्णय लिया गया है तथा इसके लिये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा सम्बन्धित तीर्थ स्थलों हेतु स्वतंत्र फीडर का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है जो अब अन्तिम चरण में है।

विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित शिकायतें दाखिल करने, बिलिंग एवं भुगतान आदि को सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी वितरण कम्पनियों में टोल फ्री काल सेन्टर स्थापित किये गये हैं साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर प्राप्त करके उन्हें बिल जारी होने तथा भुगतान प्राप्त होने पर एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। प्रदेश में 04 प्रमुख नगरों में उपभोक्ता सेवा केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। 30,000 से अधिक आबादी वाले 168 शहरी क्षेत्रों में आन लाइन बिलिंग की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है।

शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों हेतु भी साफ्टवेयर का निर्माण कर बिलिंग एवं कनेक्शन की सुविधाओं को आनलाइन किया जायेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इलेक्ट्रानिक

सुविधा केन्द्रों के माध्यम से बिल वितरण करने एवं बिल जमा करने की सुविधा प्रारम्भ की जायेगी।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

प्रदेश में विकास की गति को बनाये रखने के लिये ऊर्जा की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विकास की योजनाओं को पर्याप्त बल प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक से अधिक निवेश करने हेतु बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2013 एवं रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट नीति–2014 प्रख्यापित की गयी है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में चयनित कुल 2,100 लोहिया समग्र ग्रामों में कुल 27,669 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य कराये जाने का लक्ष्य है। दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 7,689 अदद संयंत्रों की आपूर्ति जनपदों में हो चुकी है तथा 2311 अदद संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के 1000 एवं वर्ष 2015–16 के 1000 कुल 2000 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मण्डी परिषद् द्वारा चयनित क्रमशः 999 तथा 895 कुल 1894 ग्रामों में 08 संयंत्र प्रति ग्राम की दर से कुल 15,152 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों के आपूर्ति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक लक्ष्य के सापेक्ष 6,090 अदद संयंत्रों की आपूर्ति जनपदों में हो चुकी है एवं 197 अदद संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में जनपद कन्नौज के ग्राम–फकीरपुर एवं चन्दुआहार में 250 किलोवाट क्षमता की सोलर मिनी ग्रिड परियोजना की स्थापना की गयी है। वर्ष 2015–16 में मिनी ग्रिड योजना के अन्तर्गत क्रमशः 35 कि0 वा0 एवं 230 कि0 वा0 क्षमता के 02 मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट के स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में 02 अन्य परियोजनायें स्थापित की जायेगी।

सोलर फोटोवोल्टाईफ आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना की योजना के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, कन्नौज एवं इटावा के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 132 संयंत्रों की स्थापना की गयी है।

जनपद झांसी में 20 मेगावाट क्षमता की ग्रिड सौर पावर परियोजना की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है। परियोजना की स्थापना के लिये जनपद झांसी में ग्राम धमनौड़ तहसील गरौठा में भूमि उपलब्ध है।

ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''स्टेट एनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड'' की स्थापना की गयी है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

लखनऊ शहर की यातायात समस्या के स्थायी समाधान हेतु जनहित में मेट्रो रेल चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा एस0पी0वी0 के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। इस सम्बन्ध में प्रथम चरण के डी0पी0आर0 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। परियोजना के प्रथम चरण की लागत 6,880 करोड़ है। सम्प्रति परियोजना के प्राथमिक सेक्शन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31–12–2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 04 अन्य महानगरों कानपुर नगर, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सर्वे एवं डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने का निर्णय लेते हुए भारत सरकार की संस्था–राईट्स को नामित किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का डी0पी0आर0 प्राप्त हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में कानपुर मेट्रो रेल एवं बनारस मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

निम्न मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक क्षमतानुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जारी 'अफोर्डेबल हाउसिंग नीति' के अधीन 'समाजवादी आवास योजना' का संचालन किया जा रहा है। समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 02 कमरे, रसोई घर, बाथरूम, शौचालय एवं बालकनी की सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका कारपेट एरिया 75 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा तथा लागत रु0 15 से 30 लाख के अन्तर्गत होगी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को पूर्ण रूपेण उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पूर्व में मरीजों को 03 दिन की औषधियों का वितरण किया जाता था परन्तु वर्तमान में 03 दिन के स्थान पर 05 दिन की औषधियां मरीजों को वितरित की जा रही है तथा विशेष परिस्थितियों में दूर–दराज से आने वाले गम्भीर रोग से पीड़ित मरीजों को 15 दिन की औषधियां निःशुल्क वितरित की जा रही है।

प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं पैथालोजी जांचों (100 प्रकार की जांचें) की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

प्रदेश की जनता को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मण्डल/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में 155 थ्री डी कलर डाप्लर अल्ट्रासाउण्ड मशीन, 38 डिजिटल एक्स–रे मशीन, 38 सी0 आर्म मशीन, 40,300 एम0ए0 एक्स–रे मशीन तथा **टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद में 01 एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना की जा चुकी है** तथा 20 एक्स–रे मशीनों की स्थापना प्रगति पर है। प्रदेश के समस्त जनपदों में उनकी आवश्यकता अनुसार **पैथालोजी लैब की उच्चीकरण किया जा रहा है और इन प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की स्थापना की जा रही है जिसके**

लिये 21.21 करोड़ की बजट की व्यवस्था की गयी है। नेत्र रोग एवं हड्डी रोग के उपचार हेतु भी आधुनिक उपकरणों क्रमशः फेको मशीन, सी0 आर्म एवं महत्वपूर्ण मशीनों आदि की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कुल 06 ट्रामा सेन्टर एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 28 ट्रामा सेन्टरों में से 13 का निर्माण कार्य पूर्ण, 15 निर्माणाधीन है तथा 10 ट्रामा विंग का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 06 एवं उ0 प्र0 राज्य द्वारा स्वीकृत 08 ट्रामा सेन्टरों हेतु मानव संसाधन एवं उपकरणों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें क्रियाशील किया जाना प्रक्रियाधीन है तथा 07 ट्रामा सेन्टरों हेतु मानव संसाधन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले बी0पी0एल0 कार्डधारकों अथवा रु0 24,000/– तक वार्षिक आय वर्ग के लोगों को व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा एवं उपचार की विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य आरोग्य निधि की स्थापना की गयी है।

विभाग द्वारा 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, साढ़ामऊ, बक्शी का तालाब, लखनऊ का लोकार्पण किया गया, 50 शैय्या चिकित्सालय, बकेवर, इटावा का लोकार्पण किया गया, 100 शैय्या से उच्चीकृत कर 300 शैय्या चिकित्सालय, लोक बन्धु श्री राजनारायण का निर्माण कार्य माह मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा, वित्तीय वर्ष 2015–16 में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, छिबरामऊ, कन्नौज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, मण्डलीय चिकित्सालय दर्शननगर, फैजाबाद में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय हस्तगत कर क्रियाशील किया गया, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, सन्तकबीर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, औरैया का निर्माण पूर्ण किया गया, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, अतरौलिया, आजमगढ़ वर्ष 2015–16 में पूर्ण कर चिकित्सालय क्रियाशील किया जायेगा, 100 शैय्या चिकित्सालय, तरवां, आजमगढ़ वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण कर लिया जायेगा, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, कुमारगंज, फैजाबाद एवं टी0बी0 सहसामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण कर क्रियाशील किया जायेगा, 05 जनपदों में ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 05 जनपदों यथा आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर को माह मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जायेगा।

108 ई0एम0टी0एस0 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण एवं अति जनहितकारी कार्यक्रम हैं समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में 988 एम्बुलेन्सों का संचालन सितम्बर, 2012 से प्रारम्भ किया गया और न केवल इनका संचालन किया जा रहा है बल्कि हाल ही में इनकी संख्या को बढ़ाया भी गया है।

प्रदेश सरकार प्रदेश के पूर्वांचल में विद्यमान ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की समस्या को दूर करने के लिये अत्यधिक गम्भीर एवं प्रतिबद्ध है। रोगियों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिये जनपदीय चिकित्सालयों के अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क

जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये **कुल 104 इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर** (ई0टी0सी0) जनपद गोरखपुर में 23, महराजगंज में 12, कुशीनगर में 14, देवरिया में 16, बस्ती में 16, सिद्धार्थनगर में 14 एवं सन्तकबीर नगर में 09 स्थापित एवं क्रियाशील है, जिनमें जनपद स्तर पर उपचार प्राप्त कर मृत्यु/जटिलता से बचने के लिये जनता को नियमित रूप से प्रेरित किया जा रहा है।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं के0जी0एम0यू0, लखनऊ में जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से हुये विकलांगों को पुनर्वासित करने हेतु पी0एम0आर0 विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रत्येक को रु0 पांच करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा **वित्तीय वर्ष 2015–16 में बी0एच0यू0 वाराणसी के लिये भी रु0 पांच करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है।**

समाज कल्याण विभाग

राज्य सरकार द्वारा **''समाजवादी पेंशन योजना''** वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित 45 लाख लाभार्थी को रु0 500/– प्रति माह की दर से चार किश्तों में पेंशन की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रु0 2727.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण कल्याण नियमावली, 2014 प्रख्यापित कर दी गयी है। जिसमें अंकित बिन्दु संख्या–20 के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित किये जाने हैं।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है, को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर देय सहायता धनराशि 03 सितम्बर, 2013 को जारी शासनादेशानुसार रु0 20,000/– से बढ़ाकर रु0 30,000/– कर दी गयी है।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा पी0सी0आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भारत सरकार की तद्विषयक नियमावली, 2014 के अन्तर्गत रु0 90,000/– से रु0 7,50,000/– तक की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

छात्रवृत्ति वितरण योजना में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र व पुस्तकें आदि उपलब्ध कराते हुए बेहतर ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 09 अनुसूचित जनजाति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार, प्रदेश के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं, कल्याण कार्यों तथा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अल्पसंख्यक समुदाय में अशिक्षा तथा बेरोजगारी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय–मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी के विकास एवं उत्थान हेतु विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में लगभग 2829.0857 करोड़ की, कक्षा 9 से 10 तक के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति योजना, कक्षा–11 तथा उसके ऊपर के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी निर्माण योजना, 146–आलिया स्तर के अरबी–फारसी मदरसों को अनुदान प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 100 मदरसों को अनुदान पर लिये जाने की योजना, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग योजना, 140 मान्यता प्राप्त मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 योजना, निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना, हज हाउस की परिसम्पत्तियों का निर्माण योजना, अल्पसंख्यकों में उच्च शिक्षा के लिये बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब योजना, भारत सरकार द्वारा संचालित मदरसा/मकतब आधुनिकीकरण योजना, भारत सरकार द्वारा संचालित महिला छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण योजना एवं भारत सरकार द्वारा संचालित मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान योजनायें संचालित हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र रूप से क्रियाशील है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु रु0 142.04 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रु0 603.04 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान है।

इसी प्रकार दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 755.28 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान है।

विकलांग कल्याण विभाग

दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित विकलांग जन विकास विभाग द्वारा विकलांग जन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अनेक महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं।

निःशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिये प्रयास करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विश्व विकलांगता दिवस **''03 दिसम्बर, 2015''** के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु केन्द्र की स्थापना की गयी। इसमें विकलांगजनों को जयपुर फुट कृत्रिम अंग के रूप में एवं कैलीपर्स, जूते व अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

निःशक्तजनों के समग्र विकास हेतु ''राज्य पुनर्वास नीति 2014'' प्रख्यापित की गयी है एवं उनके विकलांगता प्रमाण–पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

महिला कल्याण

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना नियमावली, 2015 के अन्तर्गत कोष का उपयोग जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित कराना, पीड़िताओं के भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, पुनरुद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किये जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गयी है।

रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं को बहादुरी के कार्य करने तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गयी है।

राज्य पोषण मिशन

राज्य पोषण मिशन द्वारा अपने सहयोगी विभागों यथा आई0सी0डी0एस0, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य समन्वय कर उक्त विभागों द्वारा उन कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में फील्ड के कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है ताकि उनके द्वारा

कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। इस हेतु यूनीसेफ के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जनपद से आठ–आठ प्रशिक्षक प्रशिक्षित किये जा रहे हैं।

मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रत्येक जनपद में ''वजन दिवस'' अभियान चलाकर लगभग 14 लाख अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कराया गया है, जिनकी आन लाइन मासिक ट्रैकिंग वेबसाइट के माध्यम से मिशन द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ''मातृत्व सप्ताह'' अभियान के रूप में मनाने की कार्यवाही करायी जा रही है ताकि गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय जांच हो सके और अतिकुपोषित महिलाओं का चिन्हांकन कर उनका उपचार किया जा सके।

राजस्व विभाग

कृषक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ खातेदार–सहखातेदार कृषकों जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो, के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण राशि अधिकतम 05 लाख रुपये की गयी है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उन खातेदारों/सहखातेदार कृषकों को अनुमन्य होता है जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने की दृष्टि से आम आदमी बीमा योजना लागू की है। इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य पात्र हैं। इस योजनान्तर्गत प्रति मुखिया सदस्य की प्रीमियम बीमा राशि 200 रुपये वार्षिक है, जिसका 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से वहन किया जाता है।

भू–अभिलेखों का कम्प्युटरीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत भू–मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जाना है। पायलट आधार पर प्रथम चरण में पांच जनपदों में भू–मानचित्रों को डिजिटाइज किया जा चुका है। इसके आधार पर भू–मानचित्रों को डिजिटाइज कर मूल भू–मानचित्र से मिलान किया जायेगा।

राजस्व प्रशासन तथा राजस्व न्यायालयों के संचालन में जनता की कठिनाइयों के दृष्टिगत उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 को सरल बनाकर तथा उसमें व्याप्त त्रुटियों को निराकरण करके राजस्व संहिता–2015 का प्रख्यापन किया गया है। यह संहिता सर्व सामान्य के लिये सहज उपयोगी होगी।

प्रदेश के 73 जनपदों में फरवरी/मार्च/अप्रैल, 2015 में हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई थी। क्षति के दृष्टिगत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को रु0 7,543.14 करोड़ का मेमोरेण्डम प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 11–08–2015 को रु0 2,801.59 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत की गयी है।

परन्तु प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल रु0 4,498.29 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से 4032.131 करोड़ की धनराशि 1,02,03,949 किसानों को वितरित की जा चुकी है।

वर्तमान मानसून में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण दिनांक 19–11–2015 को प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति एवं इससे निपटने के लिये विभागों द्वारा बनायी गयी कार्य योजना को सम्मिलित करते हुए रु0 2,057.79 करोड़ का मेमोरेण्डम दिनांक 23–11–2015 को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि फसलों को क्षति से प्रभावित 21 जनपदों (जिसमें बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत सभी सातों जनपद भी सम्मिलित है) को रु0 84.50 करोड़ की धनराशि कृषि निवेश अनुदान मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों को रुपये दो–दो करोड़ की धनराशि खाद्यान्न तथा रुपये एक–एक करोड़ की धनराशि चारे के लिये अर्थात् कुल रु0 21.00 करोड़ की धनराशि रूप से करायी जा रही है।

राजनैतिक पेंशन विभाग

उ0 प्र0 राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को पेंशन व अनुदान स्वीकृत किये जाने की योजना चलायी जा रही है। वर्तमान में दिनांक 01–04–2015 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/पात्र आश्रितों को रु0 12,000/– प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में भुगतान की जा रही है। दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अन्तिम संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रित को वर्तमान में दिनांक 01–01–2007 से रुपये 5,000/– का शासकीय अनुदान अनुमन्य किया गया है।

वन विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार की वन संरक्षक एवं संवर्द्धन की सकारात्मक नीति के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के वनावरण में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2015 में 112 वर्ग कि0मी0 तथा वृक्षावरण में 149 वर्ग कि0मी0 अर्थात कुल 261 वर्ग कि0मी0 (0.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले पांच राज्यों में सम्मिलित है।

जनसामान्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वृक्षों की तुलना को बेटियों से करते हुए ''वृक्ष लगाओ बेटी बचाओ'' का सन्देश गांव–गांव में पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने विभिन्न राजकीय विभागों के साथ समन्वय एवं सहयोग करके वर्ष 2015–16 में प्रदेश में 5.61 करोड़ पौधों का रोपण किया है, जिसमें अन्य सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये पौधों की संख्या–1.85 करोड़ है, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हरीतिमा बढ़ाने हेतु ग्रीन बेल्ट पैटर्न पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है जो कि काफी सफल सिद्ध हो रहा है।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अन्य वन्य जीव विहारों में प्राकृतवास का कार्य कराया जा रहा है। इससे वन्य प्राणियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

प्रदेश में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने, पक्षियों व उनके प्राकृतवासों के संरक्षण हेतु मंच उपलब्ध कराने, प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय बर्ड वाचिंग के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित करने तथा ग्रामीण आजीविका के लिये बर्ड वाचिंग को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 4 से 6 दिसम्बर, 2015 तक राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, जरार, बाह, आगरा में प्रथम बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया।

प्रदेश सरकार जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास एवं ईको पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस निमित्त नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है।

पर्यावरण विभाग

प्रदेश में फसल कटाई के उपरान्त कृषि अवशेषों को खेतों में जलाये जाने के फलस्वरूप मानव जीवन, अन्य प्राणियों एवं भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव तथा इसके फलस्वरूप होने वाले वायु प्रदूषण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई के उपरान्त कृषि अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

मानव जीवन, अन्य प्राणियों, पौधों आदि पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी प्रकार की प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, आयात, विक्रय, भण्डारण, ढुलाई को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 22–12–2015 को निर्गत कर दी गयी है। गंगा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के लगभग 11,289 चयनित विद्यालयों में स्थापित इको क्लब के माध्यम से स्कूली बच्चों के मध्य पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन कोर योजना चलायी जा रही है।

पर्यटन विभाग

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु ट्रैबल राइटर्स कान्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें देश और विदेश के ट्रैवेल राइटर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हाट बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें देश–विदेश के बैलूनिस्ट द्वारा भाग लिया गया जो कि प्रथम बार उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुनर्निर्माण/उच्चीकरण हेतु आगरा में मुगल म्युजियम की स्थापना तथा पर्यटन पुलिस बल के गठन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

संस्कृति विभाग

ऐसे उत्कृष्ट कलाकारों/महानुभावों जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो, को यश भारती सम्मान पुरस्कार तथा बेगम अख्तर पुरस्कार दिये जाने की योजना चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 के यशभारती एवं पदम् सम्मान से सम्मानित महानुभावों को रु0 50,000/– मासिक पेंशन दिये जाने की योजना भी संचालित की गयी है।

प्रदेश में कला एवं संस्कृति के प्रदर्शन हेतु खुले मंच, चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह, आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र, मथुरा वृन्दावन के मध्य आडिटोरियम का निर्माण, भारतरत्न बिस्मिल्लाह खां के मकबरे का निर्माण, मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में मंच का निर्माण, बदायूं में प्रेक्षा गृह का निर्माण, उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आरकाईवल गैलरी का निर्माण आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी लखनऊ में कला केन्द्र का निर्माण की योजनायें प्रस्तावित हैं।

भाषा विभाग

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रचार–प्रसार एवं विकास के साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार एवं विकास का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा हैं इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों आदि का प्रकाशन कार्य मौलिक रूप से कराया जाता है।

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उर्दू विषय लेकर सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये उर्दू अकादमियों द्वारा उर्दू कोचिंग सेन्टर आरम्भ किया गया है।

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन आठ भाषायी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ–साथ विचार गोष्ठियों, व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाता है। भोजपुरी भाषा के हितार्थ नयी भाषायी संस्था भोजपुरी अकादमी के गठन की अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी तथा उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के माध्यम से सिंधी तथा पंजाबी भाषा के हित एवं विकास का कार्य कराया जा रहा है।

खेल विभाग

वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं, जिनमें से अधिकांश में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है तथा नये जिलों में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में 03 स्पोर्ट्स कालेज स्थापित हैं (लखनऊ, गोरखपुर तथा सैफई) जहां पर विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण के साथ–साथ कक्षा छः से इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क

शिक्षा प्रशिक्षार्थियों को दी जाती है, जिन्हें निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं अन्य समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों यथा ओलम्पिक, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स एवं कामनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है।

राज्य के भूतपूर्व खिलाड़ियों को जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विशेष उपलब्धि हासिल की एवं खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें राज्य सरकार द्वारा सम्मानजनक जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता दोगुनी करते हुए क्रमशः रु0 10,000/–, रु0 6,000/– एवं रु0 4,000/– प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ–साथ अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को रु0 20,000/– प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा विशेष रूप से पेटेण्ट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतन, पादम वैरायटी आदि के संरक्षण नियमों के प्रचार–प्रसार एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र स्थापित किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश में कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश स्थित 06 विश्वविद्यालयों में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण सेल की स्थापना, उद्योगों हेतु इण्टलैक्चुअल प्रापर्टी फैसिलिटेशन सेण्टर की स्थापना परिषद् की उपलब्धियां रही हैं।

प्रशासनिक सुधार विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–27 में राज्य सरकार को नियमावली बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसके अन्तर्गत उ0 प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 प्रकाशित की गई है जिसके प्राविधानों से उ0 प्र0 के समस्त लोक प्राधिकरणों में तैनात जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

परिवहन विभाग

परिवहन निगम द्वारा उच्च श्रेणी की गोल्ड लाइन एवं आधुनिकतम वातानुकूलित प्लैटिनम लाइन व स्कैनिया बसें संचालित की जा रही हैं।

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सड़क परिवहन से जोड़ने के लिये उत्तर प्रदेश के ब्लाकों को तहसीलों एवं जिला मुख्यालय से जोड़ते हुए परिवहन सेवा संचालित की जा रही है।

निगम द्वारा यात्रियों के सुविधायें यात्री बाहुल्य मार्गों पर सुव्यवस्थित खान–पान सुविधा हेतु अनुबन्धन के आधार पर ''यात्री प्लाजा'' स्थापित किये गये हैं। इसमें यात्रियों

को अपेक्षित सेवायें–पुरुष/महिला प्रसाधन आदि की व्यवस्था व गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री सुनिश्चित दरों पर उपलब्ध है।

दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु प्रचलित ''मानसिक पास योजना'' को विस्तारित किया गया है।

वर्ष 2015–16 में शासन ने अतिरिक्त कर (यात्री कर) सम्बन्धी राजस्व प्राप्तियों के एक तिहाई अंश के सापेक्ष रु0 40 करोड़ का प्राविधान बजट में प्राविधानित है। इस राशि से बस स्टेशनों के साथ अन्य अवस्थापनाओं के सुधार व बस बेड़े के अपग्रेडेशन का कार्य किया जायेगा।

श्रम विभाग

इस वर्ष माह नवम्बर, 2015 तक विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 18,676 निरीक्षण किये गये, जिसमें 9,136 मामलों में उल्लंघन पाये गये। 933 मामलों में उपशमन की कार्यवाही की गयी और 2,763 अभियोजन दायर किये गये। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा 315 मामलों में दण्ड दिया गया।

बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा लागू श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता और कटिबद्धता के साथ कराया जा रहा है। चिन्हित/अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों को 20 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष माह नवम्बर, 2015 तक 1,800 बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन किया जा चुका है।

बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 75 जनपदों में सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 01 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं।

सेवायोजन कार्यालयों के लिये ूेमूंलवरंदण वतह वेब–पोर्टल बनाया जा रहा है, जो बेरोजगारों के लिये पूर्णतः निःशुल्क है तथा नियोजकों को उच्च शिक्षाधारी बेरोजगारों के साथ ही साथ सभी प्रकार के बेरोजगारों को रोजगार तथा नियोजकों को उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायेगा।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में बोर्ड की विभिन्न योजनाओं में रु0 109 करोड़ की धनराशि की गयी और 1,90,170 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। बोर्ड की साइकिल सहायता योजना में 1,19,871 श्रमिकों को, शिशु हित लाभ योजना में 13,695 श्रमिकों को, मातृत्व हितलाभ योजना में 1,00,36 श्रमिकों को निर्माण कामगार बालिका मदद योजना में 1,511 श्रमिकों को, पुत्री विवाह अनुदान योजना में 155 श्रमिकों को सौर ऊर्जा सहायता योजना में 36,812 श्रमिकों को, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में 6847 श्रमिकों को मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना में 943 श्रमिकों को, मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना में 195

श्रमिकों को, आवास सहायता योजना में 103 श्रमिकों को तथा कामगार गम्भीर सहायता योजना में भी श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

संस्थागत वित्त विभाग

वार्षिक ऋण योजना 2015–16 के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से माह सितम्बर, 2015 तक रु0 62,961 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया है जो गत वर्ष समान अवधि में इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण (रु0 52,039 करोड़) से रु0 10,922 करोड़ (21 प्रतिशत) अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पोटेन्शियल के आधार पर वार्षिक ऋण योजना (2015–16) के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से लगभग रु0 01 लाख 36 हजार करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत संस्थागत वित्त विभाग/महानिदेशालय द्वारा गहन अनुश्रवण/अनुसरण कर बैंकों के माध्यम से शत–प्रतिशत ऋण वितरण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमानुपात सितम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 53.77 प्रतिशत है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर 60 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे।

प्रदेश के कृषकों को समय से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसली ऋण वितरण हेतु बैंकों से विशेष समन्वय स्थापित करते हुए मेगा कैम्पों का आयोजन कराकर प्रदेश को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जायेगा।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च, 2015 तक 3252 नयी बैंक शाखायें खोली जा चुकी है।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का लाभ ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने हेतु मानिटरिंग सेल/डाटा सेन्टर की स्थापना शीघ्र की जायेगी तथा प्रत्येक बीमित व्यक्ति को बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग

प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रुचि ली जा रही है। जनपद चित्रकूट में पोटाश, ग्लूकोनाईट आदि खनिजों की खोज हेतु मेसर्स मानसरोवर माइनिंग प्रा0लि0 के पक्ष में आवीक्षी परमिट स्वीकृत किया गया है। जबकि जनपद सोनभद्र में चाइना क्ले खनिज की खोज हेतु मेसर्स गेलड़ा मार्बल, मेसर्स द्वारिकाधीश मार्बल एवं मेसर्स रियल लाइफ माइनिंग प्रा0लि0 के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेन्स स्वीकृत किया गया है। जनपद ललितपुर में आयरन, प्लेटिनम आदि एसोसियेटेड मिनरल की खोज हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनी मेसर्स मैक्सटेक रिसोर्सेस प्रा0लि0 के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेन्स स्वीकृत किया जा रहा है।

राज्य सरकार की यह नीति होगी कि खनन उद्योग में लगे हुए माफियाओं को प्रत्येक दशा में इससे पृथक किया जाय तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उप खनिज प्राप्त हो, जिससे प्रदेश में लोक निर्माण कार्यों/भवन इत्यादि के निर्माण सुगमता

एवं कम लागत के आधार पर हो सके। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि ऐसी नीति बनायी जाये जिससे कृषि योग्य एवं वन भूमि से हट कर अन्य उपयुक्त भूमि पर ही राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन हों इसके साथ ही उसकी उपलब्धता बाजार में युक्ति–युक्त कीमत पर जन सामान्य को सुगमता से उपलब्ध हो। अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स/कार्यबल को सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाया गया है। प्रदेश के बहुमुखी विकास हेतु निरन्तर सुगम एवं युक्ति–युक्त कीमत पर उप खनिजों की उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

आबकारी विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में आलोच्य अवधि में गत वर्ष के सापेक्ष रु0 780.63 करोड़ अर्थात् 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह नवम्बर, 2015 तक 2,02,000 छापे मारे गये हैं जो गत वर्ष की आलोच्य अवधि में 1,78,952 थे। इस अवधि में कुल 1,09,835 अभियोग दर्ज किये गये, 25,21,350 लीटर अवैध मदिरा जब्त की गयी। 6,659 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा 1,550 वाहन पकड़े गये।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत आम नागरिकों को उनके द्वार अथवा समीप के स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवायें जैसे–आय, जाति, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र, विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचनायें/अभिलेख, खतौनी इत्यादि इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा पारदर्शी ढंग से उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु राज्य में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), स्टेट डाटा सेन्टर, कामन सर्विस सेन्टर, एस0एस0डी0जी0, स्टेट पोर्टल एवं ई–फार्म्स, ई–डिस्ट्रिक्ट आदि योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कोर इन्फ्रस्ट्रक्चर की स्थापना एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है।

नियोजन विभाग

नेपाल सीमा से लगे प्रदेश के 07 जनपदों के सीमावर्ती 21 विकास खण्डों में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के नाम से योजना संचालित है। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से रु0 42.09 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है।

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत इस क्षेत्र के 07 जनपदों यथा–झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा तथा चित्रकूट में सूखा राहत के लिये मल्टी सेक्टोरल एप्रोच के आधार पर क्षेत्र में सूखे की समस्या के निदान हेतु जल प्रबन्धन, सिंचाई सुविधाओं एवं पेयजल कार्यों को पैकेज के अन्तर्गत कराया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हेतु औद्यानिक विकास, दुग्ध विकास तथा पशुधन एवं कृषि विपणन के कार्यक्रमों को भी लिया गया है। वर्ष 2016–17 के लिये रु0 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

रेशम विभाग

रेशम उद्योग का कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में प्रमुख स्थान है जो प्रदेश के 59 जनपदों के चयनित विकास खण्डों में चल रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में रेशम विभाग द्वारा 1682.850 मी0 टन शहतूती कोया, 194.25 लाख टसर रेशम कोया एवं 350.500 मी0 टन अरण्डी रेशम कोया उत्पादन, 22,450 रेशम कीटपालक परिवारों के माध्यम से कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

सरकार द्वारा प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **''अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012''** तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **''उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014''** जारी की गई है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के योगदान व महत्व के दृष्टिगत **''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति–2014''** प्रख्यापित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा कुल वार्षिक खरीदों के सापेक्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की क्रय व्यवस्था सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से किया जाना बाध्यकारी बनाया गया है।

निर्यातकों को अधिक सुविधा प्रदान करते हुए निर्यात की अनुदान परक योजनाओं के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

खाद्य रसद विभाग

रबी विपणन वर्ष 2015–16 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 1450 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत 30.00 लाख मी0 टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके अन्तर्गत किसानों एवं आढ़तियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में 22.67 लाख मी0 टन गेहूं क्रय किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 1410 रुपये प्रति कु0 तथा 'ग्रेड' ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति कु0 घोषित किया गया है।

किसानों को धान के मूल्य का भुगतान किसानों के बैंक खातों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विशेष परिस्थितियों में एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। किसानों से उतराई/छनाई का कोई व्यय नहीं लिया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रदेश में प्रथम चरण में जनवरी, 2016 से 24 जनपदों में एवं द्वितीय चरण में शेष 51 जनपदों में मार्च, 2016 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर राशन कार्डों के लाभार्थियों की कुल सं0–4.51 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान में एपिक सत्यापन के उपरान्त 3.87 करोड़ राशन कार्डों का डाटा डिजिटलीकरण/हस्ताक्षर हेतु तैयार किया गया है एवं 3.77 करोड़ राशन कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर करके विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

औषधि लाइसेन्स की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाये जाने के लिये आन लाइन लाइसेन्स की सुविधा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 15–07–2015 से प्रारम्भ की गयी है।

खाद्य कारोबारियों की सुविधा हेतु प्रदेश के 08 मण्डलों में गठित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणों को क्रियाशील किया गया है। खाद्य पदार्थों एवं औषधियों के नमूनों की जांच हेतु विभाग की जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन0ए0बी0एल0) के मानकों के अनुसार सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग प्रदेश शासन का कर **राजस्व संग्रह** का विभाग है। विभाग का मुख्य कार्य वाणिज्य कर राजस्व को जमा कराना तथा सम्भावित **करापवंचन की प्रभावी रोकथाम** किया जाना है। विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिये **व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना** लागू है। प्रदेश के व्यापारियों के व्यापार हित व जनता के हित में विभिन्न वस्तुओं पर **कर की दर में कमी अथवा करमुक्ति** प्रदान की जाती है। कतिपय व्यापारिक संव्यवहारों में व्यापारियों की सुविधा हेतु कर देयता की **समाधान योजना** लागू की गई है।

आई0टी0 सुविधा का उपयोग करते हुए विभाग से सम्बन्धित **व्यापारियों के सभी कार्य आनलाइन** कर दिये गये हैं तथा विभागीय कार्यों को भी आनलाइन करके **सरलीकरण** किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का वाणिज्य कर संग्रह लक्ष्य रु0 53500 करोड़ है। माह नवम्बर, 15 तक रु0 33232.62 करोड़ के प्रगामी लक्ष्य के सापेक्ष रु0 28535.75 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं जो गत वर्ष के इसी अवधि में जमा राजस्व से रु0 1642.31 करोड़ अधिक अर्थात् 6.11 प्रतिशत अधिक है तथा वार्षिक लक्ष्य का 53.34 प्रतिशत है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह नवम्बर तक नियत मानक 54 प्रतिशत के समकक्ष है।

प्रदेश में परिवहित मालवाहक करापवंचित वाहनों की जांच हेतु 146 सचल दल इकाइयां कार्यरत हैं, इनके द्वारा वर्ष 2015–16 में माह नवम्बर, 15 तक अपंजीकृत व्यापारियों के 16112 करापवंचित वाहनों की जांच करके रु0 122.73 करोड़ का अर्थदण्ड/जमानत जमा करायी गई है जो गत वर्ष की संगत अवधि के सापेक्ष 13.74 प्रतिशत अधिक है।

विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः बीमित माने जाते हैं। इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु/हत्या होने पर पंजीकृत व्यापारी/नामिनी उत्तराधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत बीमित धनराशि प्रदान की जाती है। दिनांक 31–03–13 से बीमित धनराशि को रु0 4 लाख से बढ़ाकर रु0 5 लाख कर दिया गया है।

न्याय विभाग

गोमती नगर, लखनऊ में उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन के निर्माणाधीन भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 200.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रदेश में स्थानीय स्तर पर न्याय को सुलभ कराने के लिये प्रदेश के 54 जनपदों के 92 तहसीलों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर दी गयी है।

गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित वाद जैसे–हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, मानव तस्करी, दहेज हत्या, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, एच0आई0वी0 एड्स एवं अन्त्य रोगी आदि के सिविल वादों एवं 05 वर्ष से अधिक समय से लम्बित भूमि अधिग्रहण एवं सम्पत्ति/किरायेदारी विवाद से सम्बन्धित वादों की सुनवाई हेतु प्रदेश के 71 जनपदों में 212 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गयी है।

न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या कम करने हेतु प्रदेश के 17 जनपदों में 38 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की गई है।

गृह विभाग

प्रदेश को विकास, प्रगति एवं खुशहाली के पथ पर निरन्तर अग्रसर रखने के लिये शान्ति एवं सुरक्षा का वातावरण अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप बीते साल सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्ण शान्ति एवं सुरक्षा का वातावरण बना रहा है। इस अवधि में होली, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, बैशाखी एवं कार्तिक पूर्णिमा जैसे विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा बनाये जाने वाले त्योहार, कांवड़ एवं ईद–ए–मिलादुन्नवी जैसी परम्परागत धार्मिक यात्राएं एवं जुलूस आदि शान्तिमय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए। सितम्बर से लेकर दिसम्बर, 2015 के मध्य दो चरणों में आयोजित हुये त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन पूर्णतया शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस बल की जनशक्ति एवं संसाधन में वृद्धि के साथ ही आम जनता को किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में न्यूनतम समय में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्ध प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल 100 परियोजना लागू की जा रही है। आगामी 5 वर्षों की अवधि में रु0 2,325.33 करोड़ की लागत से संचालित की जाने वाली इस परियोजना के लिये लखनऊ में निर्मित किये जाने वाले एक केन्द्रीय मास्टर को–आर्डिनेटर सेन्टर का शिलान्यास किया जा चुका

है। इस भवन के भू–तल को आगामी जुलाई माह तक निर्मित कर इस सेवा को पूरे प्रदेश में लान्च करने की योजना है।

इसके अन्तर्गत किसी आकस्मिकता की स्थिति में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन, एस0एम0एस0, एम0एम0एस0 तथा अन्य किसी भी संचार माध्यम से उपर्युक्त केन्द्र से सम्पर्क करते ही सम्बन्धित नागरिक को, शहरी क्षेत्रों की स्थिति में काल करने के अधिकतम 10 मिनट के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 20 मिनट के अन्दर सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गयी है।

यह सेवा 24 घण्टे कार्यरत रहेगी तथा केन्द्र को प्राप्त होने वाले सभी संदेशों की रिकार्डिंग होगी। पीड़ित व्यक्ति की सहायता के उपरान्त इस केन्द्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति से प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रक्रिया को बन्द किया जायेगा।

इसके अन्तर्गत स्थलीय सेवा प्रदान करने के लिये अत्याधुनिक उपकरणों एवं जी0पी0एस0 से सुसज्जित कर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुल 3,200 चार पहिया वाहन तथा 1,600 दो पहिया वाहनों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिये वर्ष 2012 में प्रारम्भ की गयी वुमेन पावर लाइन 1090 अब अत्यन्त लोकप्रिय हो चुकी है तथा इसके माध्यम से अवांछित काल्स तथा एस0एम0एस0/एम0एम0एस0 से पीड़ित छात्राओं, कामकाजी महिलाओं तथा नवयुवतियों द्वारा अब तक दर्ज कराये गये लगभग 4.50 लाख मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण कराकर उन्हें उत्पीड़न से निजात दिलाई गयी है।

डी0जी0 स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

इसके साथ ही साथ एसिड अटैक सहित अन्य अत्याचार/आपराधिक घटनाओं से पीड़ित महिलाओं के उपचार एवं पुनर्वास हेतु महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधीन रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की गयी है, जिससे अब तक 60 एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को (रु0 3 लाख प्रत्येक) लाभान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस ढंग का कोष स्थापित करने वाला अग्रणी राज्य है।

आपरेशन स्माइल नामक योजनान्तर्गत अपने घरों से भागे, अपहृत तथा गायब हुए बच्चों को खोज कर उन्हें उनके परिवारवालों से मिला कर प्रदेश की पुलिस ने अभूतपूर्व कार्य किया, जिसे पूरे देश में सराहा गया तथा इससे प्रभावित होकर गृह मंत्रालय द्वारा इस आपरेशन को पूरे देश में चलाने का निर्णय लिया गया।

एक सजग, सतर्क, उत्साह सम्पन्न एवं संतुष्ट पुलिस बल ही प्राप्त कर सकता है। इसके लिये पुलिस बल में 40,000 आरक्षियों तथा 4,000 उपनिरीक्षकों की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2016 के दौरान 35,000 आरक्षियों की भर्तियों के लिये विज्ञापन जारी कर दिया गया है तथा 2,000 उप निरीक्षकों की भर्ती को विज्ञापित करने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रदेश सरकार द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) योजनान्तर्गत राजकीय रेलवे पुलिस सहित समस्त थानों में कम्प्यूटरीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये लखनऊ में डाटा सेन्टर तथा पुणे में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र बनाया गया है। प्रदेशवासियों को वेबसाइट तथा मोबाइल के माध्यम से शिकायतों तथा खोया–पाया रिपोर्ट आनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदत्त की गयी है। शीघ्र ही आनलाइन एफ0आई0आर0, चरित्र सत्यापन तथा किरायेदार आदि के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

थानों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक थाने पर दो–दो सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जा रहे हैं।

थानों में स्थापित इलेक्ट्रानिक उपकरणों को सतत् क्रियाशील बनाये रखने के लिये वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर फोटोवोल्टाइक सेल की स्थापना के लिये कार्य योजना बनाकर प्रथम चरण में दूरस्थ, सीमावर्ती एवं नक्सल प्रभावित जनपदों के 250 थानों का चयन कर यह कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश का एस0टी0एफ0 (स्पेशल टास्क फोर्स) अपन दक्षता एवं कार्यकुशलता के लिये पूरे देश में विख्यात है। विगत वर्ष के दौरान बल द्वारा अनेक दुर्दान्त इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा करोड़ों रुपये मूल्य के प्रतिबन्धित मादक पदार्थों की जब्ती की गयी है। इस बल के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तीकरण के लिये लखनऊ के विभूति खण्ड में एक एस0टी0एफ0 भवन शीघ्र ही बनकर तैयार हो जायेगा। इस भवन में इस बल के आपरेशन एवं प्रशिक्षण के लिये अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित अवस्थापना सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इसी भवन में एस0टी0एफ0 द्वारा संचालित साइबर थाना की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार इसमें एक सोशल मीडिया लैब भी स्थापित की जायेगी।

आतंकी घटनाओं की रोकथाम के साथ–साथ उससे सम्बन्धित आपरेशन्स के लिये गठित ए0टी0एस0 जैसे अतिविशिष्ट कार्यबल में तैनात कर्मियों के कौशल वृद्धि, सशक्तीकरण तथा दक्षतावृद्धि हेतु एक एस0टी0एफ0 भवन निर्मित किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण सहित बल की आपरेशनल आवश्यकताओं से सम्बन्धित सभी अत्याधुनिक आवश्यक सुविधायें सुलभ होंगी।

एस0टी0एफ0 तथा ए0टी0एस0 दोनों ही बलों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की दक्षता तथा मनोबल का उच्चतम स्तर बनाये रखने हेतु इन्हें उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु0 12,500/–) प्रतिमाह विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

प्रदेश में 08 कारागारें क्रमशः जिला कारागार श्रावस्ती, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, कासगंज, बरेली, आजमगढ़, संतकबीरनगर एवं इलाहाबाद निर्माणाधीन है। इन कारागारों के निर्माण से अतिरिक्त बन्दी क्षमता का सृजन होगा, जो कारागारों में ओवर क्राउडिंग की समस्या के निदान में सहायक होगी।

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश की 39 कारागारों में रु0 200.00 लाख की लागत से आर0ओ0 प्लान्ट स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु कारागारों के लिये हैण्ड हेल्ड तथा स्टेटिक वायरलेस सेटों की व्यवस्था पुलिस रेडियो मुख्यालय के माध्यम से कराई जा रही है तथा कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रदेश की 20 संवेदनशील कारागारों में अत्याधुनिक एफजी–1 मेटल डिटेक्शन सिस्टम तथा प्रदेश की 23 कारागारों में सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड हेतु कारागारों/न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाइयों की स्थापना एवं 10 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को अपने परिजनों से टेलीफोन पर बात करने की सुविधा प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। बन्दियों के चारित्रिक निर्माण हेतु साक्षरता एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

होमगार्ड्स विभाग

कानून–व्यवस्था की ड्यूटी में पूर्व वर्षों में 50,335 स्वयंसेवक प्रतिदिवस प्रतिस्थापित हो रहे हैं। संगठन के स्वयंसेवक साम्प्रदायिक दंगों, पर्वों, मेलों, यातायात, शांति सुरक्षा, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, अग्निशमन, बैंक सुरक्षा, बोर्ड परीक्षा तथा सशस्त्र ड्यूटी में पुलिस बलों को कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत निर्वाचन 2015 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु 93,000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का जनपदीय/अन्तर्जनपदीय प्रतिस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निगमों एवं उद्यमों में 4,160, कारागारों की सुरक्षा ड्यूटी में 1,736 पुरुष तथा महिला सशस्त्र एवं निःशस्त्र होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

प्रदेश के 17 जनपदों में होमगार्ड्स कार्यालयों, जनपद मेरठ में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जा चुका है एवं 10 जनपदों में जिला होमगार्ड्स कार्यालयों व 04 मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बसें, ट्रूप कैरियर, हल्के वाहन, मोटर साइकिल, डिजिटल डुप्लीकेटर, कम्प्युटर तथा 9 एम0एम0 की पिस्टलें क्रय की जा चुकी हैं। ड्यूटी पर दुर्घटनाग्रस्त होकर दिवंगत होने वाले स्वयंसेवकों के लिये रुपया पांच लाख की धनराशि बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की समस्याओं के प्रति शासन संवेदनशील है तथा उनके कल्याण हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

जनपद आजमगढ़ में कस्बा मुबारकपुर में विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु कुल रु0 1,163.75 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने तथा पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से उ0 प्र0 वस्त्र उद्योग नीति 2014 की घोषणा की गयी है।

राज्य सरकार के विकास एजेण्डे में सम्मिलित बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 2015–16 में प्रदेश के 3,915 बुनकरों को रु0 2 लाख की सीमा तक के बुनकर क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं।

धर्मार्थ कार्य

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ–यात्रायें कराने की सुविधा दी है, जिसे **'समाजवादी श्रवण योजना'** के नाम से चलाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में हरिद्वार, ऋषिकेश, पुष्कर, अजमेर, रामेश्वरम् व जगन्नाथपुरी की यात्रायें करायी गयी थी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इसी प्रकार से देश के विभिन्न तीर्थ–यात्रियों को तीर्थ–यात्रायें निःशुल्क करायी जायेंगी। इन यात्राओं में यात्रियों को घर से आने–जाने, ट्रेन का व्यय, उनके खाने–पीने की व्यवस्था, रास्ते का व्यय, आवास की व्यवस्था एवं निःशुल्क दर्शन कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है।

मा0 सदस्यगण, मैंने आपके सामने मेरी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष वर्ष 2015–16 की द्वितीय अनुपूरक मांगें व वित्तीय वर्ष 2016–17 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी, साथ ही विगत सत्र के बाद मेरे द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक एवं कुछ अन्य विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मा0 सदस्यगण, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता के हित में आप सब मेरी सरकार का पूरा सहयोग करेंगे और प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले चलने में हमारी कोशिशों को पूरा करने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह करेंगे।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता की तरक्की का शुभारम्भ किया है और एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां से प्रगति के पथ निकलते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में आप सबका पूरा सहयोग मिलेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं अभिभाषण का आखिरी पैरा पढ़कर इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

मुझे उम्मीद है कि आप सब मा0 सदस्यगण इस सदन की उच्च गरिमा को कायम रखेंगे। मैं आप सबके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करते हुए आपको

हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने और मेरी सरकार के कार्य–कलापों को प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका दिया।

(जय हिन्द)

उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता (संषोधन) अध्यादेष, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–04 सन् 2015)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संषोधन) अध्यादेष, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–04 सन् 2015) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेष इंडियन मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

उत्तर प्रदेष इंडियन मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

एरा विष्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

एरा विष्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेष विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष (संषोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015

---

[४] छापा नहीं गया।

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेष संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेष संषोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेष लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

उत्तर प्रदेष लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संषोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेष विधान परिषद् से बिना किसी संषोधन के दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय उत्तर प्रदेष (संषोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष इंडियन मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेष इंडियन मेडिसिन (संषोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेष कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संषोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष उच्चतर षिक्षा सेवा आयोग (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेष उच्चतर षिक्षा सेवा आयोग (संषोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2015 के उपवेशन में

पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष प्राविधिक विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेष प्राविधिक विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष सिविल विधि (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेष सिविल विधि (संषोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेष जमींदारी विनाष और भूमि व्यवस्था (संषोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूं कि :–

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेष विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेष जमींदारी विनाष और भूमि व्यवस्था (संषोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेष विधान सभा के दिनांक 26 अगस्त, 2015 के उपवेषन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेष विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 26 मार्च, 2015 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेष विधान परिषद् की दिनांक 27 अगस्त, 2015 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 व 8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–9 उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 29 जनवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 01, 02, 03, 04 तथा 05 फरवरी, 2016 को सदन की बैठकें न हों।

2–दिनांक 08 फरवरी, 2016 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

3–दिनांक 09, 10, 11 तथा 12 फरवरी, 2016 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम–56 की सूचनायें अपराह्न 5.00 बजे ली जायं।

4–तद्नुसार दिनांक 29 जनवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेषनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

जनवरी, 2016

29 शुक्रवार

1– 11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2– 12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

30 शनिवार
31 रविवार

फरवरी, 2016

01 सोमवार
02 मंगलवार
03 बुधवार
04 गुरूवार
05 शुक्रवार
06 शनिवार
07 रविवार

बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2016

08 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ।
09 मंगलवार 10 बुधवार 11 गुरूवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
12 शुक्रवार	**1–12.20 बजे अपराह्न** वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। 2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
19 षुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन+आधा दिन, दिनांक 12 फरवरी, 2016 के स्थान पर)।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार 23 मंगलवार 24 बुधवार 25 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
26 षुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2–विधायी कार्य (आधा दिन)।
27 शनिवार	

28 रविवार	बैठक नहीं होगी।
29 सोमवार **<u>मार्च, 2016</u>** 01 मंगलवार 02 बुधवार 03 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
04 षुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2–विधायी कार्य (आधा दिन)।
05 शनिवार 06 रविवार 07 सोमवार (महाषिवरात्रि अवकाष)	बैठक नहीं होगी।
08 मंगलवार 09 बुधवार 10 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
11 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2–**<u>3.00 बजे अपराह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 में कुछ नहीं है।

अब हम उठते हैं। दिनांक 08 फरवरी, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 45 मिनट पर सोमवार, दिनांक 08 फरवरी, 2016 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 29 जनवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 33 विधान सभा (54) 26–05–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।